PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page I

वर्ष 68 अंक 1

ISSN 2231-2439
जनवरी-जून 2024

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page II

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

Estd : 1939

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–43489048
ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com
website: www.iaea-india.in; www.iiale.org

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 1

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी–जून 2024
वर्ष 68 अंक 1

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्री राजेन्द्र जोशी
सुश्री निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

आधुनिक संदर्भ में बौद्ध कालीन शिक्षाएं
– जयशंकर शुक्ल
– शरद शर्मा 4

डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण
– रविंद्र कुमार ठाकुर
– एम. टी. वी. नागाराजू 11

हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास
– भरत लाल 16

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : पंचायतों की भूमिका
– अंशुमन करोल
– राजेश टंडन 22

भारत का नव निर्माण और स्वामी विवेकानंद
– ममता सिंह 30

विकसित भारत @ 2047 : चुनौतियां एवं अवसर
– कल्पना कौशिक 36

डिजिटल शिक्षा : शिक्षा का एक समावेशी दृष्टिकोण
– सोमू सिंह
– प्रतीक चौरसिया 41

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 2

आवश्यकता है उल्लास की गति तीव्र करने की

15 वर्ष एवं उससे ऊपर के असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से संचालित न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अब उल्लास (ULLAS) अर्थात अंडरस्टैंडिग ऑफ लाईफ लॉग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। वहीं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, 'प्रौढ़ शिक्षा' शब्दावली में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर–साक्षरों को उचितरूप में शामिल नहीं किया जा रहा है, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसका नाम ई.एफ.ए कर दिया है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा अब प्रौढ़ शिक्षा नहीं बल्कि ई.एफ.ए अर्थात एजूकेशन फॉर ऑल 'सभी के लिए शिक्षा' नाम से जाना जाने लगा है।

यदि उल्लास की बात करें तो वर्ष 2022–2027 के लिए लागू किए गए इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से पांच वर्षों में 5 करोड़ असाक्षर लोगों को साक्षरता के दायरे में लाना है। साक्षरता के इस स्वरूप की कल्पना महज मौलिक साक्षरता (अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान) तक सीमित नहीं बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन एवं जागरूकता, शिशु देखरेख एवं संबंधित शिक्षा, परिवार संरक्षण एवं संवर्धन आदि महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं।

विद्यालयों को केन्द्र में रखते हुए स्वयंसेवी प्रयासों पर आधारित उल्लास आन लाईन लर्निंग एण्ड असैसमेंट सिस्टम (OSLAC) पद्धति से क्रियान्वित किया जा रहा है। वालिंटियर हों या असाक्षर व्यक्ति सभी मोबाइल ऐप द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं और साक्षरता की ओर क्रमशः उन्मुख हो रहे हैं। आई.ओ.एस और एंड्रायड स्मार्ट फोन पर उपलब्ध उल्लास मोबाइल ऐप एक डिजिटल प्रवेश द्वार के तरह कार्य करता है। 29 जुलाई 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखित भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन किये गये इस ऐप को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिस पर असाक्षर साक्षर बनने के लिए जुड़ रहे हैं तो शिक्षित व्यक्ति असाक्षरों को साक्षर बनने में मद्द करने के लिए स्वयंसेवक के रूप में जुड़ रहे हैं। ऐप के माध्यम से ही इन दोनों हितधारकों को एक–दूसरे से जोड़ा जा रहा है। एन.सी.ई.आर.टी के माध्यम से छात्र, शिक्षक सहित उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षार्थी भी इस प्रयास को कारगर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। बावजूद इसके लक्ष्य की तुलना में प्रयासों का सामर्थ्य बराबर सा नहीं दिखता।

ऐसे में आवश्यक है कि इस दिशा में देश में हो रही प्रगति पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से गौर किया जाय। दिनांक 23 अप्रैल 2024 को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेवसाईट पर एन.आई.एल.पी के संबंध में प्रदत आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,18,89,607 लोगों ने साक्षर बनने की इच्छा रखते हुए स्वयं का नामांकन कराया है। साथ ही साथ 33,96,252 लोगों ने स्वयं को स्वयंसेवक के रूप में नामांकित कराया है जो असाक्षरता दूर करने के इस राष्ट्रीय प्रयास में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। वेवसाइट पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि एनआईएलपी के लागू होने से अब तक नामांकित शिक्षार्थियों की साक्षरता एवं संख्यात्मकता कौशल का आंकलन करने तथा उसे सर्टिफाईड करने के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 3

मूल्यांकन परीक्षण (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असैसमेंट टेस्ट – एफएलएनएटी) तीन बार आयोजित की जा चुकी है।

प्रथम परीक्षण 19 मार्च 2023 को 10 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में की गई जिसमें 22.70 लाख शिक्षार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 20,22,174 उतीर्ण घोषित किए गए। दूसरा परीक्षण 24 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया जिसमें 17,39,097 लोगों ने भाग लिया इनमें से 15,58,696 उर्तीण हुए। तीसरी परीक्षा 17 मार्च 2024 को हुई जिसका रिजल्ट आना शेष है। इस प्रकार अब तक कुल 36,00,870 असाक्षर उतीर्ण घोषित हुए हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निर्धारित 5 वर्षों में लक्ष्य 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का था उसमें से ढाई वर्ष बीत जाने के उपरांत भी महज 36 लाख लोग अर्थात मात्र 7 प्रतिशत ही साक्षर बनाए जा सके हैं।

यह ठीक है कि सरकार इस मुहिम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर इसे तीव्रतर बनाने का प्रयास कर रही है जिसके लिए देशभर के सभी शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया है कि उच्च संस्थानों के सभी विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वे 3 से 4 असाक्षर व्यक्तियों को नवसाक्षर बनाएं जिसके लिए उन्हें उपयुक्त क्रेडिट भी प्रदान किया जा सकता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के सभी प्रौढ़, सतत, आजीवन एवं विस्तार विभागों को निर्देशित किया है कि विभाग से संबद्ध छात्र–छात्राओं को एनआईएलपी के तहत तीन या उससे उपर असाक्षरों को हर अकादमिक इयर में साक्षर बना उन्हें FLNAT अर्थात फांउडेसनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असैसमेंट टेस्ट के माध्यम से सर्टिफायड कराने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने में सफल विद्यार्थियों को क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार एआईसीटीई एवं एनसीटीई के तहत आने वाले उच्च शिक्षण संस्थान भी अपना समुचित योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस, एनसीसी तथा कोरपोरेट सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी के तहत आने वाले संस्थान भी उल्लास को जन आंदोलन बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। एनसीईआरटी के तहत कार्यरत सेल फॉर नेशनल सेंण्टर फॉर लिटरेसी (सीएनसीएल) के तहत राज्यों में स्टेट सैण्टर फॉर लिटरेसी (एससीएल) भी कार्य करने लगे हैं जिनकी स्थापना के लिए एक बार 30 लाख तथा रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है। 5 से 7 जुलाई 2023 को अजमेर में आयोजित बैठक के दौरान साक्षरता की मुहिम को गति देने के लिए विद्यालयों को 'सामाजिक चेतना केन्द्र' के रूप में कार्य करने का भी आह्वान किया गया ताकि विद्यालय व्यापक स्तर पर अपने सामाजिक और शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

उपरोक्त सभी प्रयास स्वागत योग्य हैं। पर आंकड़ों से यही स्पष्ट होता है कि क्रियान्वयन की गति और तीव्र किये जाने की आवश्यकता है अन्यथा उपलब्धियां लक्ष्य से कहीं दूर खड़ी होंगी और समय के साथ फासला और भी बढ़ता ही जायेगा।

– बी. संजय

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 4

आधुनिक संदर्भ में बौद्ध कालीन शिक्षाएं

— जयशंकर शुक्ल
— शरद शर्मा

जड़ताओं से लड़ने एवं उनमें युगानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रयास भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। बौद्ध कालीन शिक्षाएं भी इन्हीं प्रयासों का अंग रही हैं। सम्पूर्ण भारत में जब वैदिक काल चल रहा था और लोगों में कर्मकाण्ड का अत्यंत महत्व था उसी काल में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। कार्य आधारित सामाजिक वर्गीकरण उस दौर में पहुंचते–पहुंचते न केवल जाति का आकार ले चुका था बल्कि समाज का वर्गीकरण भी जाति के आधार पर हो चुका था। बौद्धकाल में इस जातिगत वर्गीकरण का बाह्य रूप भी अपने चरम पर था और उसका दंश अपने निम्नतर स्तर पर। किसी भी क्षेत्र और काल में जब सम्यक् संबुद्ध चेतना पर श्रद्धा की दृढ़ भूमिका बनती है तो वहीं से निर्वाण के मार्ग का शुभारम्भ होता है। भगवान बुद्ध के समय में इसे 'अष्टांग मार्ग' के नाम से जाना गया और इस मार्ग को बुद्ध के 'त्रिरत्न' के नाम से भी पहचाना जाता है। प्रज्ञा, शील और ध्यान के इन्हीं त्रिरत्नों के विस्तार को अष्टांग मार्ग कहते हैं। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को दोनों प्रकार की अति की दिशा में बढ़ने के लिए सावधान करता है इसलिए इसे 'मध्यम–मार्ग' भी कहा जाता है।

बीज शब्द : स्वभाव, संवेदनशील, चिंतनशील अध्ययन, पाठक, समाज, परिवर्तन, विश्वकल्याण, मैत्री भावना, मध्यम मार्ग, ज्ञान, शांति, कल्याणकारी, श्रेयस्कर, निर्दिष्ट लक्ष्य, नियंत्रित, निर्देशित एवं सुपोषित।

अध्ययन का उद्देश्य

1. चिंतनशील अध्ययन के परिवर्तनकारी अनुभव को सभी के लिए प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित करें; पाठक, समाज परिवर्तन की अपनी यात्रा स्वयं शुरू करें ।
2. मध्यम मार्ग ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है, निर्वाण देने वाला है, अतः कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है वही श्रेयस्कर है।
3. गौतम बुद्ध विश्वकल्याण के लिए मैत्री भावना पर बल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महावीर स्वामी ने मित्रता के प्रसार की बात कही थी।
4. गौतम बुद्ध मानते हैं कि मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। वे कहते हैं कि बैर से बैर कभी नहीं मिटता। मैत्री से ही बैर मिटता है।
5. मित्रता ही सनातन नियम है ।
6. बौद्ध संस्कृति अपने आप में भारतीय और भारतीयता को समाए हुए है। यह निश्चित तौर पर मानवीय संवेदनाओं और लक्ष्यों के मध्य संबंध बनाए रखते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते आगे बढ़ती है। इसने मानव मात्र के लिए कल्याण का मार्ग उसके इसी जीवन में प्रशस्त किया है।

तर्क

प्रस्तुत शोध पत्र में महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य एवं उन्हीं आर्य सत्यों से प्रेरित अष्टांगिक मार्गों के सामाजिक प्रभाव एवं ग्राह्यता पर प्रकाश डालते हुए, इसका समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ताकि इसके माध्यम से महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक चार आर्य सत्यों का सरलीकरण एवं इनके उद्देश्य प्रस्फुटित हो सकें।

अनुसंधान क्रियाविधि

नमूना : नीति दस्तावेज़ और दिशानिर्देश

उपकरण : गुणात्मक दस्तावेज़ विश्लेषण

डिज़ाइन : वर्णनात्मक साहित्य समीक्षा

अध्ययन

मुख्य रूप से निष्कर्षों के लिए फॉर्म दस्तावेज़ों में पहले से मौजूद डेटा का उपयोग करता है।

प्राथमिक स्रोत

पालि एवं संस्कृत आधार ग्रंथ।

अनुवाद एवं मूल हिंदी साहित्य।

प्रस्तावना

- बौद्ध धर्म अपने उद्भव से ही नवीनतम शीर्ष को परिभाषित करने के लिए नए–नए नियमों की स्थापन करता रहा है।
- उन नियमों का व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। उसके साथ ही साथ जीवन में शुचिता और सत्यता का प्रत्यावर्तन इनकी प्रमुख विरासत रही है।
- जब धर्म के नाम पर अंधविश्वास, रूढ़िवाद और जड़ क्रिया–कांडों का समूचा प्रचार चल रहा हो तब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मानव, मानव बने रहे इसके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं।
- जन समाज का सामूहिक शोषण उन लोगों में रोष को बढ़ा रहा था। परंतु कोई दूसरा विकल्प नहीं होने से परम्परा के ताने–बाने को तोड़ना भी सम्भव नहीं लग रहा था।
- ऐसे में भगवान बुद्ध ने धर्म के सनातन स्वरूप को पुनः उजागर किया और आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग जैसी शिक्षाओं के माध्यम से जन सामान्य को खोखले आश्वासनों, भयों से आज़ाद किया।
- उपदेशों में संतुलन की धारणा को महत्व दिया।
- उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि भोग की अति से बचना जितना आवश्यक है उतना ही योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है।
- भोग की अति से चेतना के चीथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं।

- गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशित चार आर्य सत्यों के सारांश के रूप में, पहला दुःख है, दूसरा दुःख का कारण है, तीसरा दुःख का निदान है एवं चौथा वह मार्ग है जिससे दुःख का निदान होता है।
- गौतम बुद्ध के मत में अष्टांगिक मार्ग ही वह मध्यम मार्ग है जिससे दुःख का निदान होता है।
- अष्टांगिक मार्ग चूँकि ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि के संदर्भ में सम्यकता से साक्षात्कार कराता है, अतः मध्यम मार्ग है।
- बौद्ध धर्म में 12 अन्य शिक्षाओं का विषयगत उल्लेख है जो इसकी सतत् प्रक्रिया "निर्वाण" में न केवल सहायक हैं बल्कि उसमें बाधा डालती हैं और वे इस प्रकार हैं:

बौद्ध धर्म में 12 अन्य शिक्षाएं :

1. **अविज्ज – (अज्ञान)** : बौद्ध धर्म की पहली शिक्षा जो गौतम बुद्ध द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर निर्दिष्ट की गई वह है अविद्या अथवा अज्ञान। व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं और उनके कारणों से पृथक रहने और उनकी पहचान न कर पाने के कारण पीड़ा और कष्ट में पड़ा रहता है। इसी कारण वह जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। उसकी असफलता उसके जीवन में उसे सत्य और ज्ञान से दूर करती है।
2. **शंकर – शरीर, वाणी और मन से कोई भी क्रियाः** यह बौद्ध दर्शन के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसके शरीर, वाणी अथवा मन द्वारा होने वाली क्रिया है जो उसे उसके संस्कारों से की गई क्रियाओं के परिणामों से बांधती हैं। यह बंधन व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने से रोकती है और लक्ष्य प्राप्ति से उसे अलग करती है। यह अलगाव निश्चित तौर पर व्यक्ति को अपने जीवन में मन, वाणी अथवा कर्म के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, उसपर नजदीकी दृष्टि रखने तथा उसे देखने–परखने और उनसे बचने की क्रिया को अपनाने की बात कहती है। (1)
3. **विन्नाना – कामुक चेतना** : गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के द्वारा उसके अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति से असफल रहने का एक बड़ा कारण है कामुक चेतना। यह संलिप्तता व्यक्ति को उसके उद्देश्य से पृथक करती है और उसको पीछे की तरफ ले जाती है। इससे बचकर ही व्यक्ति अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विन्नाना को पहचानने का अर्थ है मुख्य तनाव की पहचान करना और उसे अपने जीवन से अलग करने की क्रिया को समझ लेना। यही व्यक्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक होती है। इसे हीं गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षा के रूप में माना जाता है।
4. **नामरूप – नाम और शरीर** : जन्म लेने के उपरांत हर व्यक्ति की पहचान उसका नाम होता है जो उसके माता–पिता द्वारा दिया जाता है। यह नाम उसके रूप के साथ जुड़

जाता है। नाम और रूप का चुनाव व्यक्ति को जान–समझकर, पहचान कर और उसका विश्लेषण करके करना चाहिए। जब वह अपने नाम के विश्लेषण को जान करके अपने आपको तैयार करता है तो वह निश्चित तौर पर अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की ओर स्वयं को अग्रेषित पाता है। गौतम बुद्ध ने विशेष रूप से कहा है कि नाम और रूप का विश्लेषण एक व्यक्ति की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

5. **सलयाथन – आँख, कान, नाक, स्पर्श, तन और मन ये 6 माध्यम :** मानव जीवन में बाहरी दुनिया को जानने और समझने की दिशा में ज्ञानेंद्रियां प्रमुख होती हैं। नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और आंख जैसी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही व्यक्ति बाहर की दुनिया से स्वयं को जोड़ पाता है। इसमें उसका मन और तन भी प्रमुख होता है। बुद्ध ने कहा कि हम बाहरी दुनिया को समझ कर उसके अनुरूप स्वयं को ढालें और इसके साथ ही साथ अपने स्वयं के जीवन से शिक्षित होते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में दुनिया से स्वयं को जोड़ना और उसके अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण करना और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर आगे बढ़ना आदि को प्रमुख माना गया है।

6. **पासा – संपर्क :** व्यक्ति के जीवन में संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम जिस तरह के लोगों के संपर्क में होते हैं हमारी धारणा और ध्यान भी उसी अनुरूप बनती रहती है। विचार, भाव एवं कर्म हमारे से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ता है, मिलता है और उसी के अनुसार हमारे आगे के मार्ग भी सुनिश्चित होते हैं। इन मार्गों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्वयं का मूल्यांकन आवश्यक होता है। (3)

इससे हमें ज्ञात होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारे संबंध कितना अग्रसरित कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें इस पर ध्यान देते हुए स्वयं को नियंत्रित, निर्देशित एवं सुपोषित करना चाहिए।

7. **वेदना – भावना :** मानव जीवन में वेदना का प्रमुख स्थान होता है। व्यक्ति स्वभाव से संवेदनशील होता है। उसकी संवेदना ही उसकी भावनाओं के रूप में प्रकट होती है। किसी के दुख देख करके दुखी होना और सुख में सुखी होना मानव का सामान्य स्वभाव है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें स्वयं में व्यक्ति की भावना या वेदना को समझने का गुण विकसित करने का आग्रह करती हैं ताकि हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझ सकें और स्वयं को उसके अनुसार आगे बढ़ने हेतु प्रेरित कर सकें। (2)

8. **थान्हा – नक्काशी या प्यास जो छह माध्यम कमा रहे थे :** हमारे शरीर में हमारी अनुभूतियों के छह मार्ग बताए गए हैं। वे हैं हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां और एक मन जिसके द्वारा हम जीवन में घटने वाली घटनाओं और सुख–दुख, जीवन–मरण, यश–अपयश ऐसी चीजों को समझ पाते हैं और उनको अनुभव कर पाते हैं। इन अनुभूतियों के आलोक में हमें अपने भावों को विकसित करने होते हैं जो हमारे अपने लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सहायक होते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में यह प्रमुख स्थान पर रहा है। (4)

9. **उपदान** – इसका अर्थ है "लगाव" : लगाव भी बुद्ध के द्वारा सुनिश्चित की गई शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब हमें किसी से लगाव होता है, तभी हमें सुख अथवा दुख की अनुभूति होती है। लगाव में, जिससे लगाव है उसके द्वारा आह्लाद एवं प्रसन्नता के समय हमें सुख की अनुभूति होती है। और उसके कष्ट में हम दुखी होते हैं। इन दोनों से बचने के लिए लगाव कि स्थिति में स्वयं को समदर्शी रखते हुए अलग करके देखना होता है। जिससे कि हम जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए इस तरह के लगाव से स्वयं को बचा सकें।

10. **भाव – तृष्णा और आलिंगन की सेवा करने वाला व्यवहार** : मानव जीवन में तृष्णा और आलिंगन से बचाव की बहुत बड़ी शक्ति होती है। मानव के द्वारा प्रश्न और आलिंगन अर्थात सुखी अवस्था हो या दुख की अवस्था दोनों का समान रूप से सेवा करने वाला भाव होना चाहिए जो उसे निरंतर उसकी अपनी स्वीकार्यता में वृद्धि करती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में समरूपता का यह सुगम मार्ग बहुत ही सहज है। जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन काल में आलिंगन और तृष्णा दोनों में समभाव रखते हुए जीवन के विभिन्न पक्षों का अनुभव अपने स्वयं के बनाए नियमों के अनुसार करता है। और शिक्षा की इस परंपरा के आधार पर स्वयं के लक्ष्य को निर्धारित कर प्राप्त करता है। (5)

11. **जाति – जन्म** : बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व्यक्ति को जन्म और जाति से अलग रखते हुए उनके अपने स्व की पहचान की ओर प्रेरित करती हैं जिससे कि वह अपने जीवन में एक निश्चित धारणा को लेकर आगे चलते हुए स्वयं के द्वारा निर्देशित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें।

12. **जरामरन – बुढ़ापा और मृत्यु** : बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंतिम पड़ाव पर बुढ़ापा और मृत्यु को रखा गया है जहां कि व्यक्ति अशक्त हो जाता है, उसकी ताकत क्षीण हो जाती है और जीवन में अपने द्वारा निश्चित कृतियों को कर पाने में असफल होता है। यह असक्तता उसके अपने जीवन में हासिल किए गए उसके द्वारा अर्जित शक्तियों से परिचित होने में अवरोध उत्पन्न करती है। जिसके फलस्वरूप वह अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाता है और कष्ट के सरोवर में डूब कर के अपनी लीला समाप्त करता हुआ सा प्रतीत होता है।

बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 12 बातों का त्याग करने को प्रतिबद्ध है तो वह भाग्यशाली है और वह "निर्वाण" प्राप्त करेगा। बुद्ध का चौथा उपदेश उसे "निर्वाण " प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। इसे आमतौर पर बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग के रूप में नामित किया गया है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित अष्टांग मार्ग ही आगे चल कर धर्म–चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को सही–ग़लत का निर्णय कर के सम्यक् मार्ग का चुनाव करने का उपदेश देता है। (6)

बुद्ध के सम्पूर्ण मार्ग में कहीं भी किसी भी कर्म–कांड का आग्रह नहीं है। परंतु सम्यक् विचारणा की ही प्रमुखता है। चूँकि विचारों की सत्ता, शारीरिक कर्म की सत्ता से कहीं अधिक सूक्ष्म है।

इसलिए बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से सूक्ष्म स्तर पर हेरफेर होता है जो साधक के जीवन को शाश्वत आंतरिक दशा एवं दिशा प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र और काल में जब सम्यक् संबुद्ध चेतना

पर श्रद्धा की दृढ़ भूमिका बनती है तो वहीं से निर्वाण के मार्ग का शुभारम्भ होता है। भगवान बुद्ध के समय में इसे 'अष्टांग मार्ग' के नाम से जाना गया और इस मार्ग को बुद्ध के 'त्रिरत्न' के नाम से भी पहचाना जाता है और प्रज्ञा, शील, ध्यान के इन्हीं त्रिरत्नों के विस्तार को अष्टांग मार्ग कहते हैं। (7)

यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को दोनों प्रकार की अति की दिशा में बढ़ने के लिए सावधान करता है। इसलिए इसे 'मध्यम–मार्ग' भी कहा जाता है।

बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से हेरफेर होने के कारण विचारों की सत्ता का शारीरिक कर्म की सत्ता से कहीं अधिक सूक्ष्म होना है।

निष्कर्ष एवं प्राप्तियां:

- गौतम बुद्ध ने आंतरिक यात्रा के पथ से चलते हुए अपने भीतर बुद्धत्व को प्रकट किया और 'धर्म' के उस सनातन स्वरूप का अनुभव एवं प्रस्फुटन किया, जो समय की गर्त में खो रहा था।
- उस आत्मज्ञान के अभाव में समूचा वर्ग स्वयं भ्रमित था और दूसरों को भी भ्रमित कर रहा था।
- कर्मकांडों से उसका शुभ आशय खो चूका था और अंधविश्वास के आधार पर यज्ञ, तर्पण आदि क्रियाओं के नाम पर हर किसी को लूटा जा रहा था।
- ऐसे में भगवान बुद्ध ने धर्म के सनातन स्वरूप को पुनः उजागर किया और आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग जैसी शिक्षाओं के माध्यम से जन सामान्य को खोखले आश्वासनों, भयों से आज़ाद किया।
- उपदेशों में संतुलन की धारणा को महत्व दिया।
- उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि भोग की अति से बचना जितना आवश्यक है उतना ही योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है।
- भोग की अति से चेतना के चीथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं।
- गौतम बुद्ध द्वारा उपदेशित चार आर्य सत्यों के सारांश के रूप में, पहला दुःख है, दूसरा दुःख का कारण है, तीसरा दुःख का निदान है एवं चौथा वह मार्ग है जिससे दुःख का निदान होता है।
- गौतम बुद्ध के मत में अष्टांगिक मार्ग ही वह मध्यम मार्ग है जिससे दुःख का निदान होता है।
- अष्टांगिक मार्ग चूँकि ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि के संदर्भ में सम्यकता से साक्षात्कार कराता है, अतः मध्यम मार्ग है।
- मध्यम मार्ग ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है, निर्वाण देने वाला है, अतः कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है वही श्रेयस्कर है।
- गौतम बुद्ध विश्वकल्याण के लिए मैत्री भावना पर बल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महावीर स्वामी ने मित्रता के प्रसार की बात कही थी।
- गौतम बुद्ध मानते हैं कि मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। वे कहते हैं कि बैर से बैर कभी नहीं मिटता बल्कि मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है ।

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 10

शोध ग्रंथ सूची:

1. बौद्ध संस्कृति का इतिहास, भाग चंद्र जैन, प्रकाशक – आलोक प्रकाशन, नागपुर, पृष्ठ 321।
2. मज्झिम निकाय, सुत्त पिटक, अनुवादक राहुल सांकृत्यायन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ट 83।
3. भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, लेखक तारा नाथ लामा, प्रकाशक–काशी प्रसाद जायसवाल, शोध संस्थान पटना, सितंबर 1971, पृष्ठ 107।
4. बौद्ध संस्कृति, राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशक–महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, 1952, पृष्ठ–9/ 15।
5. बुद्ध कालीन समाज एवं धर्म, डॉक्टर मदन मोहन सिंह, प्रकाशक–बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1974, पृष्ठ 2/107।
7. बुद्धचर्या, राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशक–महाबोधि सभा सारनाथ, वाराणसी, 1952, पृष्ठ 3/41।

❍❍❍❍❍

"देहातवालों में ऐसी कला और कारीगरी का विकास होना चाहिए, जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमत की जा सके। जब गांवों का पूरा–पूरा विकास हो जाएगा, तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ट करने वाली कला–कारीगरी के धनी स्त्री–पुरूषों की गांवों में कमी नहीं रहेगी।"

– महात्मा गांधी, हरिजन सेवक, 1946

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 11

डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण

– रविंद्र कुमार ठाकुर
– एम. टी. वी. नागाराजू

किसी भी शोध में उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपकरणों की सहायता से ही एक शोधार्थी परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए प्रदत्तों का संकलन करता है और प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर ही शोध से निष्कर्ष निकालता है। उपलब्धि परीक्षण भी एक प्रकार का शोध उपकरण है, जिसके द्वारा किसी भी विद्यार्थी की किसी विषय विशेष में अधिगम तथा उसकी प्रगति का आकलन किया जाता है। इस शोध पत्र में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का डिजिटल उपकरणों के प्रयोग के विषय में ज्ञान तथा प्रगति के मूल्यांकन के लिए डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण किया गया है। परीक्षण निर्माण के लिए शोधार्थी ने 113 एकांशों का निर्माण किया, 180 विद्यार्थियों वाले न्यादर्श पर उसे प्रशासित कर आँकड़े संकलित किए गए। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर 82 एकांशों वाले उपलब्धि परीक्षण का अंतिम प्रारूप बना, जिसकी विश्वसनीयता का मान 0.84 है तथा परीक्षण की वैधता विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्धारित की गई है।

व्यक्ति के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज ज्ञान–विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने मनुष्य के सोचने–समझने के तरीकों को प्रभावित किया है, शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। वर्तमान में संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति ने शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। उच्च–गुणवत्ता वाली शिक्षा से लाभ उठाने की गति को आगे ले जाने के लिए तकनीकी के प्रयोग की गति भी धीरे–धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सरकारी और निजी विद्यालय समान रूप से ज्ञान प्रदान कर सकें इसके लिए ये सभी विद्यालय विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीक को अपनाते हुए कुछ प्रचलनों को देखना चाहिए जैसे – क्लाउड कंप्यूटिंग, व्यक्तिगत कप्यूटिंग, मोबाइल अधिगम, सार्वभौमिक शिक्षा द्वारा तैयार की गई सामग्री, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल पाठ्य पुस्तक आदि। पूर्व में शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का सहारा लेता था, किंतु आज तकनीक के विकास ने उन्हें डिजिटल उपकरणों की ओर मोड़ दिया है। भारत सरकार ने भी शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने के लिए अनेक आई.सी.टी. आधारित शिक्षा योजनाओं की शुरूआत की है। इन शिक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले विद्यार्थियों की डिजिटल उपकरण संबंधित दक्षता अर्थात् डिजिटल साक्षरता की जानकारी आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता उपलब्ध जानकारी को समझने, सूचनाओं का पता लगाने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कई स्वरूपों में जानकारी का मूल्यांकन और एकीकृत करने की क्षमता है अर्थात् डिजिटल साक्षरता जो

कंप्यूटर प्रदान कर सकता है। (पॉल गिल्स्टर, 1997)

शिक्षण और अधिगम वह प्रक्रिया है, जिसमें सूचनाओं का पता लगाना, मूल्यांकन करना, संप्रेषण करना तथा संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आवश्यकता होती है सूचना कौशल की। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शिक्षा के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए विद्यार्थी, स्थान और सामाजिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा किए बिना डिजिटल सेवाओं या प्रौद्योगिकियों के उपयोग और लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। डिजिटल साक्षरता की मूल अवधारणा यह है कि साक्षरता का यह रूप व्यक्ति को कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और साइबर सुरक्षा आदि का प्रत्यक्ष एवं सक्रिय अनुभव लेने में समर्थ बनाता है।

कोविड – 19 महामारी की स्थिति के दौरान पूरी दुनिया ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर हो गई थी। भारत में सभी शैक्षणिक संस्थानों को मार्च 2020 से बंद कर दिया गया और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया, जिन विद्यार्थियों के माता–पिता के पास तकनीकि उपकरण और तकनीकि जानकारी थी, उन्होंनें अपने बच्चों को सरलतापूर्वक ऐसी स्थिति में ढ़ाल दिया, किंतु जिन अभिभावकों में तकनीकि जानकारी का अभाव था उनके बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को नहीं अपना सके। यहाँ तक कि कुछ अभिभावकों ने डिजिटल उपकरण खरीद लिए, किंतु तकनीकि अज्ञानता के कारण अच्छी तरह से संचालित करने में समर्थ थे। कोरोना काल के दौरान, भारत सरकार ने मूक, स्वयं, ई–पाठशाला, ई–ग्रांथालय (MOOC, SWAYAM, e-Pathshala, e-Granthalay) और वीडियो अध्याय आदि के माध्यम से विद्यार्थियों की चुनौतियों को पूरा करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए जो सीखने को लचीला और सुविधाजनक बनाकर स्व–शिक्षण का मंच प्रदान करते हैं। शोधार्थी ने 2020 के दौरान माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया जो निम्नलिखित आयामों पर आधारित है –

डिजिटल उपकरणों का परिचय और संचालन (कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल संघटक, कार्य और अनुप्रयोग)

- इंटरनेट का परिचय और प्रयोग (सर्च इंजन, यूट्यूब, संचार–ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक)
- विभिन्न ई–गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच और
- डिजिटल प्रौद्योगिकी में बचाव और सुरक्षा

विद्यालय में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विभिन्न विषयों में कोई भी विद्यार्थी कितना सीखा? इसका मापन करने के लिए एक अध्यापक कई मनोवैज्ञानिक विधियाँ एवं परीक्षणों का प्रयोग करता है, जिनमें से उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण है (सिंह, 2015)। उपलब्धि परीक्षण में विद्यार्थियों द्वारा किसी निश्चित कार्यक्षेत्र में अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है (गे, 1980)। अतः कहा जा सकता है कि 'उपलब्धि परीक्षण' एक ऐसा परीक्षण है, जो व्यक्ति द्वारा एक निर्धारित समयावधि में दिए किसी विशेष कार्य या ज्ञान के क्षेत्र में स्वामित्व या निपुणता का मापन करता है। इसके द्वारा अध्यापक शिक्षण में और विद्यार्थी अधिगम में कितना सफल हुए इसका पता लगाने में सहायता मिलती है। अतः

किसी भी उपलब्धि परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, वैधता तथा विश्वसनीयता का होना आवश्यक है।

यह शोध पत्र मध्य प्रदेश राज्य में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की डिजिटल साक्षरता में उपलब्धि का आकलन करने के लिए शोधार्थी द्वारा विकसित डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। इस उपकरण के निर्माण हेतु शोधार्थी द्वारा उपलब्ध संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन करके डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों, विषय–वस्तु तथा मूल्यांकन संबंधी आयामों को निर्धारित किया गया। शोध पर्यवेक्षक, भाषा विशेषज्ञ तथा विषय–विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर कुछ एकांशों को जोड़कर परीक्षण में आवश्यक सुधार किया गया। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण में अंतिम रूप से कुल 82 एकांशी का चयन किया गया।

परीक्षण निर्माण तथा मानकीकरण के चरण

शोधार्थी द्वारा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता उपलब्धि का आकलन करने के लिए स्वनिर्मित डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण (DLSAT) का निर्माण तथा मानकीकरण किया गया। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की गई :

1. प्रथम चरण – नियोजन
2. द्वितीय चरण – निर्माण – परीक्षण के एकांशों का लेखन
3. तृतीय चरण – परीक्षण के एकांशों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन
4. चतुर्थ चरण – परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता कर निर्धारण।

प्रथम चरण – नियोजन

किसी भी परीक्षण को मूर्त रूप देने के लिए उसके प्रथम चरण में योजना तैयार की जाती है, जिस दौरान शोधार्थी किसका, क्या, कब और कैसे आकलन करना है? इत्यादि पहलुओं पर विचार करता है। इसके अंतर्गत शोधार्थी परीक्षण की विषय–वस्तु, उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार व उनकी संख्या, समयावधि, अंकन विधि आते हैं। परीक्षण के प्रथम चरण में निम्नलिखित उपचरण शामिल हैं :

परीक्षण समष्टि तथा परीक्षण उद्देश्य का परिभाषीकरण

मापन में सम्मिलित बौद्धिक स्तरों का परिभाषीकरण

उपलब्धि परीक्षण का मूल पत्र तैयार करना।

परीक्षण समष्टि

(जनसंख्या) के रूप में 2020 में मध्य प्रदेश के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इस शोध का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि को ज्ञात करना था।

मापन में सम्मिलित बौद्धिक स्तरों का परिभाषीकरण

शोधार्थी द्वारा परीक्षण के एकांश का निर्माण करने के लिए उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ज्ञान के ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का चयन किया गया।

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 14

उपलब्धि परीक्षण का मूल पत्र (ब्लू प्रिंट) तैयार करना

मूल पत्र किसी भी परीक्षण को विस्तृत रूपरेखा के साथ–साथ उद्देश्यों, ज्ञान के स्तरों तथा एकांशों के वितरण को आसानी से समझाने वाला प्रारूप होता है। इस शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा परीक्षण में शामिल पाठ्यवस्तु का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा ज्ञान के प्रत्येक स्तर के अनुरूप उसका वितरण तालिका 1 में दर्शाया गया है।

द्वितीय चरण – निर्माण – परीक्षण के एकांशों का लेखन

इस शोध में वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय एवं सत्य–असत्य) प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ऐसे प्रश्नों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है तथा ये विद्यार्थियों को परीक्षण में दिए गए एकांशों के आधार पर विभेद करने में सक्षम भी होते हैं। इस परीक्षण में कुल 113 वस्तुनिष्ठ पदों को तैयार कर विषय विशेषज्ञों को समीक्षा, अवलोकन तथा सुझावों के लिए दिया गया तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर आवश्यक सुधार किया गया है। तत्पश्चात् मार्गदर्शी (पायलट स्टडी) के लिए परीक्षण का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया।

तालिका 1 – डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का ब्लू प्रिंट (प्रथम प्रारूप)

क्र. स.	विषय–वस्तु	ज्ञानात्मक	बोधात्मक	क्रियात्मक	योग
1.	डिजिटल उपकरणों का परिचय और संचालन (कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबा. इल–संघटक, कार्य और अनुप्रयोग)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,15,17,25,26,32,43,56 ,57,59,60,61,62	11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24, 27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39, 41,46,51,58	20,34,40,42,44,45,47,48,49,50,52,53,54,55,63,64,65,	65 (57.52%)
		22(33.84%)	26(40.00.%)	17(26.15%)	
2.	इंटरनेट का परिचय और प्रयोग (सर्च इंजन, यूट्यूब, संचार–ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक)	66, 71, 72, 78, 83, 84, 86, 90	69,70,77,79,80,81,82,85,88,89,91,	67,68,73,74,75, 76,87,	26 (23.01%)
		08 (30.77%)	11 (42.30%)	07 (26.92%)	
3.	विभिन्न ई–गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच	92,94,95,98,101	93,96,100	97,99,	10 (8.85%)
		05 (50.00%)	03 (30.00%)	02 (20.00%)	
4.	डिजिटल प्रौद्योगिकी में बचाव और सुरक्षा	110,111,112	102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109	113	12 (10.62%)
		03 (25.00%)	08 (66.66%)	01 (8.34%)	
5.	सकल योग	38 (33.63%)	48 (42.47%)	27 (23.90%)	113 (100%)

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 15

तृतीय चरण – परीक्षण के एकांशों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन

परीक्षण के एकांशों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन

परीक्षण में शामिल सभी एकांश उद्देश्यों को पूरा करते हैं या नहीं, इसके लिए शोधार्थी, द्वारा तैयार परीक्षण के निर्माण के प्रथम प्रारूप को शोध पर्यवेक्षक तथा अन्य संबंधित विशेषज्ञों (शिक्षा मनोवैज्ञानिक, भाषा विशेषज्ञ, कंप्यूटर विषय विशेषज्ञ और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक) को मूल्यांकन के लिए दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर इस उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक सुधार तथा संशोधन किया गया। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि परीक्षण में शामिल सभी पद संबंधित क्षेत्र से हैं तथा उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रकार इस परीक्षण में कुल 113 बहुविकल्पीय प्रकार के पदों को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया गया।

परीक्षण के एकांशों का मात्रात्मक मूल्यांकन – प्रारंभिक या मार्गदर्शी परीक्षण

परीक्षण के एकांशी के मात्रात्मक मूल्यांकन हेतु मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर और शहडोल जनपद से 10वीं कक्षा के दो–दो विद्यालय, जिसमें एक–एक प्राइवेट व एक–एक सरकारी विद्यालय को मार्गदर्शी अध्ययन के लिए शामिल किया गया, जिसमें कुल 180 ऐसे विद्यार्थियों को न्यादर्श में शामिल किया गया जो परीक्षण संबंधी विषय–वस्तु की जानकारी तथा समझ रखते थे। इस परीक्षण में कुल 113 एकांशों (89 बहुविकल्पीय तथा 24 अन्य सत्य–असत्य पदों) को शामिल किया गया। बहुविकल्पीय एकांशों के लिए क, ख, ग, घ, चार विकल्पों में से किसी एक पर तथा सत्य–असत्य एकांशों के लिए सत्य या असत्य में से किन्ही एक पर सही का चिह्न लगाना था। इस परीक्षण के लिए सभी विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय दिया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण का फलांकन, उत्तरी कुंजी की सहायता से किया गया और विद्यार्थियों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत उत्तर के लिए शून्य अंक प्रदान किया गया।

एकांश विश्लेषण

किसी भी परीक्षण के प्रश्नों की मनोमितीय (साइकोमेट्रिक) विशेषताओं को आंकिक दृष्टि से विश्लेषण करने की प्रक्रिया को पदश्या एकांश विश्लेषण कहते हैं। शोधार्थी एकांशों को लिखने, विशेषज्ञों के सुझाव तथा विद्यार्थियों पर मार्गदर्शी अध्ययन आदि के बाद एकांशों में संशोधन कर उन एकांशों का विश्लेषण करता है। पटेल एवं सिंह, (2018) एवं गे (1980) के अनुसार, एकांश विश्लेषण मूल रूप से एकांशों की प्रभावशीलता की माप करने के ख्याल से प्रत्येक एकांश के प्रति की गई अनुक्रियाओं के प्रारूप का एक परीक्षण की प्रभावशीलता अथवा अप्रभावशीलता आदि की जानकारी होती है, जिससे किसी एकांश में परिमार्जन की आवश्यकता है या वह एकांश व्यर्थ है इत्यादि बातों की जानकारी हो जाती है। इन्हीं के आधार पर एकांशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। इसके द्वारा समय, धन, शक्ति की बचत कर अपने कार्य को सरलता से सफल बना सकते हैं।

❍❍❍❍❍

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 16

हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास

— भरत लाल

ऋग्वेद की यह सूक्ति ''अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा'' हमें स्मरण कराती है कि युवा ही विश्व के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत की ओर देखें तो यहां की मध्य–आयु 29 वर्ष है और देश की युवाशक्ति पूर्ण उभार पर है। यही कारण है कि हमारे युवा भारत की गौरवमयी परम्परा को आगे बढ़ाने और भविष्य के निर्माण की दिशा में विविध मार्गों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य के भारत के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सन् 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना सभी के समक्ष रखी है। इस इंडिया @2047 अर्थात् उन्नत भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु युवाओं का सशक्तीकरण करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत सरकार ने जीवन स्तर सुधारने और "ईज ऑफ लिविंग" अर्थात् जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं जिनमें सभी के लिए आवास की सुनिश्चित व्यवस्था, पीने का साफ पानी, ग्रामीण विद्युतीकरण, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार की सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा, सड़क संपर्क व्यवस्था, उत्तम शिक्षा, और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना शामिल है ताकि सभी एकजुट होकर अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान दे सकें और अपनी पूरी क्षमता से विकास कार्यों में सहयोग कर पाएं।

इस समय देश में कामकाज करने वाले 15 से 64 आयुवर्ग के लोगों की संख्या 80 करोड़ के आसपास है जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 67 प्रतिशत है। वर्ष 2020 से वर्ष 2050 को भारतीय अर्थव्यवस्था का 'स्वर्णकाल' माना जा रहा है जिसमें युवाओं की भूमिका मुख्य रहेगी और सही नीतिगत उपाय अपनाए गए तो ये युवा रचनात्मक बदलाव से भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार विविधता लाकर उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफल होंगे। देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती से पकड़ बना रहा है और नवाचारों, स्टार्टअप्स और युवा शक्ति के सहारे वह न केवल अनेक विकसित देशों के लिए कड़ी सपर्धा पेश कर रहा है बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी अपने उल्लेखनीय योगदान के बल पर वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान बना ली है।

'टेकेड' का युग

देश के कार्यबल में हर वर्ष 1.2 करोड़ नए युवा बढ़ रहे हैं जिससे पता चलता है कि सभी के लिए कामकाज के अवसर जुटाने के साथ ही शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी सुविधाओं), डिजिटल टेक समन्वयन, श्रमिक संरक्षण और इन सबसे अहम ऐसी टिकाऊ हाट व्यवस्था बनाने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है जो देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के अनुरूप हो तथा सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने में सक्षम हो।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और दुनिया के हर दस यूनिकॉर्न में से एक भारत का होता है। स्टार्टअप इंडिया योजना और कारोबर की प्रक्रिया सरल बनाने के प्रयासों से ही इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की जा सकी है। एक दशक पहले देश में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे वहीं 2022 में इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो गयी है जो इस क्षेत्र में हुई महती सफलता को दर्शाती है। सन् 2014 में भारत ने लगभग 4000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था वहीं 2022 में भारत द्वारा 15000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया जा चुका है। भारत ने नवाचारों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही तेजी से प्रगति की है। इस जबरदस्त कामयाबी का पता 'वैश्विक नवाचार इंडेक्स' देखने से लगता है क्योंकि जिस नवाचारों की सूची में सन् 2015 में भारत का नाम 81वें स्थान पर था वहीं 2022 में भारत इस सूची में 40वें स्थान पर पहुँच गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन विज्ञान, शिक्षा, व्यावसायिक (प्रोफेशनल) सेवा, कृषि, खानपान जैसे 56 विविध औद्योगिक क्षेत्रों में भारत के 656 जिलों में 77,000 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप चल रहे हैं। यह भारत के स्पर्धात्मक, वैश्विक मानकों के स्तर तक पहुँचने और देश के युवाओं के लिए 'अनुकूल पर्यावरण' विकसित करने के कारण ही संभव हो पाया है। उदाहरण के लिए बाजार तक पहुँच की व्यवस्था का अभाव स्टार्टअप के विकास में बहुत बड़ी बाधा थी। सरकार ने सरकारी गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म का निर्माण कर इसका आसान समाधान कर दिया। GeM पोर्टल ऑपरेटर–अनुकूल इंटरफेस बन चुका है जो उच्च क्वालिटी मानकों, बेहतर किस्म के उत्पादों, गोदाम और भंडारण सुविधाओं के नेटवर्क और माल लाने ले जाने से लॉजिस्टिक सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी पक्की व्यवस्था की गारंटी देता है।

टिकाऊ स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में ऐसा ही एक और अहम पहलू है आंकड़ों, सेवाओं, बाजार सुविधाओं के उपभोक्ता तक पहुँच अर्थात् आउटरीच और कारोबार करने तथा नियमों का पालन करने की भारी लागत को कम करना रहा है। डिजिटल इंडिया देशभर के सुदूर क्षेत्रों को पहुँच में लाकर दूरी की बाधा के बावजूद सहयोग और समन्वय की क्षमता को बनाए रखने के लिए चलाया गया एक व्यापक मिशन है। देश के आईटी और कंप्यूटर विशेषज्ञों के तालमेल से आईओटी क्रांति आई है जिसमें भारतीय बाजार नए स्टार्टअप्स के लिए जोखिम का कारण बनने की जगह विश्व स्तर के आधुनिक, गतिशील और उन्नत बाजारों जैसे बन गए हैं।

रोजगार के अवसर जुटाने वाले

विभिन्न दिशाओं से भारत की प्रगति का पता इस तथ्य से लग जाता है कि वह इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2014 में जहां हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर की थी वहीं अब यह बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आगामी लक्ष्य सन् 2030–31 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। देश के अर्थव्यवस्था में यह महत्वाकांक्षी विस्तार और वृद्धि तभी संभव होगी जब हमारी युवा शक्ति कौशल

विकास, रोजगार जुटाने की क्षमता बढ़ाने और विश्व बाजारों में पहुँच बनाने की दिशा में पक्के इरादे से जुट जाएगी।

सरकार ने कौशल विकास और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं ताकि भावी कार्यबल के लिए दक्षता और बाजार केंद्रित प्रतिभा तथा जानकारी की मज़बूत बुनियाद तैयार की जा सके। साथ ही, भारतीय युवा शक्ति की मूल प्रतिभा को नई दिशा देकर आगे बढ़ाने के काम में मद्द के लिए देशभर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान अनेक आईआईटी, आईआईएम और आईटीआई विकसित किए जा रहे हैं।

भारत जैसे सांस्कृतिक और भाषायी विविधता वाले विकासशील देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वालों और रोजगार तलाशने वालों के बीच सतुंलन बनाए रखने की चिंता लबें अर्से से चली आ रही है क्योंकि हमारे देश में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के अलावा दोनों वर्गों में हुई वास्तविक वृद्धि आंकने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़े भी हैं जो दर्शाते हैं कि 2017 के बाद से 3 करोड़ से भी अधिक औपचारिक रोजगारों के नाम जुड़े हैं। श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने के पीछे स्पष्ट मंशा यह भी थी कि अंसगठित क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाए और बेरोज़गारी तथा पेंशन लाभ कराए जाएं। इसने अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि मापने के लिए संख्यात्मक मानदडों को भी समन्वित करके अधिक भरोसेमंद बनाया है।

रोजगा़र उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, चाहे वे बड़े निर्माण उद्योग हों या मझौले निर्माण उद्योग, और इन दोनों उद्योगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लगातार लाभ मिल रहा है। रोजगार के अवसर जुटाने की क्षमता से शुरू होकर निर्माण का आधार व्यापक बनाने, भारतीय बाजार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती निर्भरता और मांग बढ़ने तथा उसके आधार पर अधिक अवसर और रोजगार बढ़ने तक यही दृष्टिगत हो रहा है। 2021–22 में सरकार ने पीएलआई योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड–19 के कारण उत्पन्न दबाव से उबर सके तथा अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला मॉडल विकसित किए जा सके।

जीवन स्तर सुधारने और जीवन को सुगम बनाने के सरकार के दो लक्ष्यों का देश के युवाओं के जीवन और उनकी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लीवरेज टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार के प्रयासों के कारण बुनियादी ढांचे के विकास की गति में तेजी आई है। मेट्रो रेलवे और सड़क संपर्कों के तेज विकास से अनेक रोजगार योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

समावेशी शिक्षा तक पहुँच

भारत प्राचीनकाल से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है और समाज की ऐसी धारणा है कि युवाओं की आकांक्षाओं–अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सार्थक और प्रभावी शिक्षा प्रणाली होना जरूरी है। हर भारतीय मां अपने बच्चों को उत्तम श्रेणी की शिक्षा दिलाना चाहती है। इस भावना को ध्यान में रखकर ही सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधारों के नए युग का सूत्रपात किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 लागू करना जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया भी है। इसमें नए दौर के कौशल पर जोर दिया जा रहा है और विद्यार्थियों को अपने तरीके से पढ़ने–सीखने का मौका भी दिया जाता है।

इस नीति को लागू करने के लिए भारतीय युवाओं को समाधान पर मुख्य ध्यान केंद्रित रखने वाले तथा चुस्त–सतर्क और जीवन की वास्तविकताओं को झेलते हुए चुनौतीपूर्ण हालात का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार बनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्कूलों में अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान में दक्षता अर्जित करने पर जोर देना होगा तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या पर अंकुश लगाने के प्रयास करने होंगे। उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए अनेक विषय पढ़ाने का विकल्प खुला रखना होगा और पाठ्यक्रम में शामिल होने या उसे छोड़कर जाने के भी कई विकल्प देने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाल्यावस्था में विशेष देखरेख करना, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, आकलन और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और व्यवस्था का व्यापक विस्तार करना भी शामिल है।

सुधारों की व्यापक्ता और तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इनको कार्यरूप देने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। 2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई तथा इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने कार्यरत और स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स' की संख्या भी तिगुनी कर दी है। साथ ही, 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी) लागू हो गया और यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नियामक बन गया। एनएमसी से मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही भी आई है।

शिक्षा क्षेत्र के लक्ष्य को विस्तार दिया गया है जिससे ऐसी पक्की व्यवस्था हो सके कि 'कोई भी छूट न जाए' या 'कोई भी पिछड़ा न रह जाए'। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) खोले गए हैं। 2004 से 2014 की अवधि में करीब 90 ईएमआरएस के लिए मंजूरी दी गई थी। 2014 के बाद से 686 ईएमआरएस मंजूर किए गए हैं जो दस वर्ष पहले की संख्या से पांच गुणा ज्यादा हैं। हर वर्ष एक आईआईटी और एक आईआईएम भी जुड़ा है और अक्टूबर 2022 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 723 से बढ़कर 1043 हो गई है और हम देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का सपना साकार होते देख रहे हैं। इसी प्रकार नवोदय विद्यालयों की संख्या भी

बढ़ी है। हर बच्चे तक उत्तम शिक्षा की सुविधा पहुँचाने के लगातार भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसे प्रमुख संस्थानों तक पहुँच उपलब्ध कराने में अक्सर धन की व्यवस्था बड़ी अड़चन बन जाती हैं। स्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए कम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने और छात्रवृति कार्यक्रम का विस्तार करने के कारण शिक्षा तक उनकी पहुँच अब आसान हो गई है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि योग्य और प्रतिभावान विद्यार्थियों को यह फिक्र नहीं करनी होगी कि उनके परिवार वाले उनकी पढ़ाई का बोझ कैसे संभालेंगे।

जीवन में सुगमता नई वास्तविकता

आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के बेरोकटोक उपलब्ध होने से जीवन स्तर सुधारने की दिशा में सार्थक प्रभाव हुआ है। इससे देश के सबसे दूरदराज वाले भागों में भी शैक्षिक, व्यावसायिक और उद्यमिता के बीच सामंजस्य लाने में बहुत मदद मिली है। सरकार ने ऐसे स्पष्ट और ठोस उपाय किए हैं जिनका करोड़ों युवाओं पर सार्थक और रचनात्मक प्रभाव हुआ है और हर विकास कार्यक्रम के मूल में जीवन की सुगमता ही मुख्य आधार है।

एक दशक पहले शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए हैं, उज्जवला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराके उनके घरों को धुएँ की समस्या से छुटकारा दिलाया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना लागू करके देश के 99 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली की पहुँच सुनिश्चित की गयी है जिससे युवाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्वच्छता अब युवाओं की जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी है। देश को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के अंतर्गत 1.34 लाख से ज्यादा गांवों को 'खुले में शौच से मुक्त' यानी ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इन गांवों में ठोस और तरल कचरे को उठाने, उसे उपचारित करने और फिर इस्तेमाल योग्य बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे ग्रामीण भारत का वातावरण तो सुधर ही रहा है और जनस्वास्थ्य के लक्ष्य भी प्राप्त किए जा रहे हैं, साथ ही हमारे युवाओं का गौरव भी बढ़ रहा है। इससे सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भी प्रगति हुई है। जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तो उस वक्त देश के कुल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को ही पीने के पानी के लिए नल के कनेक्शन उपलब्ध थे। आज 10.75 करोड़ (56 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को सीधे नल से पीने के साफ पानी की सुविधा मिल रही है। निजी स्वामित्व वाला मकान होने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गरीबी दूर होने का संकेत भी मिलता है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए हैं तथा इनके निर्माण कार्य में ही कई समुदायों ने कौशल हासिल कर लिया और युवाओं को रोजगार भी मिले हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक जैसे काम सीखकर रोजगार पाने में मदद मिली है।

उड़ान जैसी योजना से कनेक्टिविटी की पक्की व्यवस्था हो गई है जिससे विमान यात्रा किफायती हुई है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। साथ ही युवाओं को नई बातों ओर परिस्थितियों की जानकारी भी मिलने लगी है। राजमार्गों, रेलमार्गों और शहरी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार से भारत के युवाओं को अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाकर क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद मिली है।

स्वास्थ्य जीवनशैली पर सरकार के जोर देने से युवाओं को सीधे लाभ मिल रहा है। फिटनेस और खेलकूद स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कुंजी है। युवाओं में खुद को फिट और चुस्त दुरूस्त रखने की सोच जगाने के उद्देश्य से अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट (स्वस्थ भारत अभियान) शुरू किया गया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिए युवाओं में बचपन से ही खेलकूद में रूचि जगाने की पहल की गई है जिसमें बड़ी सफलता मिल रही है। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर प्रतिभावान युवाओं का चयन करके उन्हें 8 वर्ष के लिए 5 लाख रूपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

आगे का रास्ता

स्वामी विवेकानद ने सही कहा था, ''मुझे सौ ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत में क्रांतिकारी बदलाव ला दूँगा।'' आज भारत के युवा कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, संचार, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम मेधा और अन्य अनेकानेक क्षेत्रों में नवाचार और किफायती समाधान खोज चुके हैं या खोजने के प्रयास में लगे हुए हैं।

देश के युवा ही भारत के स्वप्न को साकार करने का बीड़ा उठाकर उसे नई ऊंचाई पर पहुँचा सकते हैं। सन् 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की सौंवी वर्षगांठ मनाएगा तो देश के युवा उसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर सही अर्थों में विकसति देश बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगें। सरकार ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने युवाओं को शिक्षा, कौशल और बढ़िया स्वास्थ्य देने के साथ भाईचारे और सर्वजन हिताय जैसे मूल्यों का भी विकास हो सके इसके लिए कई पहल शुरू की है। जहां राष्ट्र अपना भविष्य उज्जवल बनाने में लगा हैं वहीं हम अपने युवाओं के सामर्थ्य और उनकी ऊर्जा के विकास की दिशा में पूरी लगन से प्रयास करें यह भी आवश्यक है। (साभार योजना)

❍❍❍❍❍

"सत्याग्रह सच्चे का हथियार है। यदि लोग शांति न रखेंगे, तो मैं सत्याग्रह की लड़ाई कभी लड़ न सकूंगा।"

— महात्मा गांधी

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 22

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : पंचायतों की भूमिका

– अंशुमन करोल
– राजेश टंडन

भारतीय संविधान ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों संबंधी अनुछेद 45 में 'सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा' का प्रावधान किया है। इस दिशा में भारतीय शिक्षा के इतिहास में बड़ी सफलता तब मिली जब 28 नवम्बर 2001 को लोकसभा ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए 93वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया।

संविधान द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ है; केंद्र सरकार के विशिष्ट निर्देशों और नीति दिशा–निर्देशों के साथ, अलग–अलग राज्य अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक प्रमुख रणनीति औपचारिक स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना है, जिसका अर्थ है सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा–प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।

भारत का संविधान (अनुच्छेद 243 जी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम) ग्राम पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने का आदेश देता है। इसके अलावा, 73वां संविधान संशोधन और 93वां संशोधन विधेयक भी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शिक्षा संबंधी जिम्मेदारी को साझा करने पर जोर देता है। चूंकि, ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर सरकार है इसलिए, प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्य और पंचायतों के प्रति उत्तरदायित्व एक संवैधानिक दायित्व है। अतः यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षा प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका सामाजिक और आर्थिक पहुंच के साथ–साथ शैक्षिक सुविधाओं की गुणवत्ता को संबोधित करेगी। समुदाय सीधे तौर पर शामिल होगा और उसे शिक्षा के लिए अपने विचारों, जरूरतों और आकांक्षाओं को बताने के लिए उच्च अधिकारियों के पास नहीं जाना होगा। प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों की सीधी भागीदारी शिक्षा–प्रणाली को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाती है, क्योंकि पंचायत समुदाय के निकट हैं और वे ग्राम सभा के माध्यम से समुदाय के प्रति जवाबदेह हैं। इसी लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत 29 विषयों को संबंधित पंचायतों को सौंपने के प्रावधान किये गए हैं। लेकिन पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुरूप शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक

और माध्यमिक विद्यालय तथा तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान आते हैं, के सम्बन्ध में शक्तियों के हस्तांतरण की स्थिति सभी राज्यों में समान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधि मानचित्रण को देखने से यह तो स्पष्ट है कि 29 राज्यों द्वारा यह जिम्मेदारी पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गयी है लेकिन इसके अनुरूप कार्यकर्ताओं और बजट का बड़ा हिस्सा अभी भी विभागों के अधीन है (डेवोलूशन रिपोर्ट; 2015–16, पंचायती राज मंत्रालय)।

चूंकि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, इसलिए भारत में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते हैं। कुछ निजी संस्थान भी हैं लेकिन आर्थिक असमानता (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) को ध्यान में रखते हुए, सरकारी स्कूली शिक्षा–प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक निष्ठाओं से बंधे हैं। सरकारी स्कूल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, वंचित समूहों जैसे; दलितों, जनजातियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रिया एवं इसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा भारत के 14 राज्यों में किये गए अध्ययन (टंडन व राजेश, 2002) में स्पष्ट रूप से यह निकल कर आया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश बच्चे हाशिए पर रह रह वर्गों से हैं और इसमें भी बालकों के अनुपात में बालिकाओं की संख्या सरकारी स्कूलों में अधिक है। शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन मंत्रालय) की रिपोर्ट (2016–17) के अनुसार भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों में 11.3 करोड़ (65 प्रतिशत) सरकारी–विद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन उभरती हुई प्रवृत्तियों के आलोक में, पंचायतों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि, संविधान के अनुसार हाशिए के वर्गों (महिलाओं और दलितों) का स्थानीय शासन में अधिकार है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अधिक सहानुभूति की उम्मीद की जाती है। यह वास्तविकता आज भी प्रासंगिक है और 'शिक्षा स्थिति की चौदहवीं वार्षिक रिपोर्ट' (असर, 2019) के अनुसार, 4–5 वर्ष के आयु समूह में 57 प्रतिशत; 6–8 वर्ष के आयु समूह में 61 प्रतिशत लड़कियां सरकारी विद्यालयों में पढ़ती हैं।

सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सामाजिक–आर्थिक बाधाओं और सुविधाओं की गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी बाधा है। यह महसूस किया गया है कि केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं और सरकारी प्रयासों से शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है बल्कि; शैक्षिक योजनाओं में समुदायों को शामिल करना आवश्यक है। इसके लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रयास भी किये गए हैं और इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने भी दिशा देने का काम किया है।

भारत में सन् 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद कुछ बदलाव 1986 में किए गए जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में

संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। 1986 की नीति के बाद से एक बड़ा कदम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (2009) रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। लगभग 34 वर्षों बाद केंद्र सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसे एक क्रांतिकारी नीति के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति का मुख्य बिंदु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में बड़ा बदलाव है जो पिछले नीति दस्तावेजों में अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्र रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का विज़न भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा–प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष योगदान देने की परिकल्पना करती है। नीति परिकल्पित करती है कि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और उनके कार्यों में भी परिलक्षित हो। इसके साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन–यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायनों में वैश्विक नागरिक बन सकें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी 4), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम है। यदि हम गुणवत्तापूर्ण पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की बात करें जो एसडीजी 4.2 में निहित लक्ष्य है, तो इसके तहत 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के साथ जोड़ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसा इसलिए कि इसका अभाव शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) की एक बड़ी खामी थी। इसके अतिरिक्त एसडीजी 4.5 जो शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करने पर लक्षित है, एनईपी 2020 के अंतर्गत, इंटरनेट आधारित ई–लर्निंग को संबोधित करने वाली एक नई ईकाई डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने हेतु प्रस्तावित है। और कोविड–19 के बाद की स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनईपी 2020 एवं एसडीजी 4.6, सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता के अंतर्गत तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए साक्षरता और संख्यात्मकता का एक राष्ट्रीय फाउंडेशन स्थापित किये जाने की वकालत करती है।

इस नीति में शिक्षा के अधिकार की पात्रता को 6–14 वर्ष से बढ़ाकर 3–18 वर्ष कर दिया गया है। सन् 2030 तक 100 प्रतिशत बच्चों को 'स्कूल के लिए तैयार' करने के लक्ष्य के साथ नीति; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के सार्वभौमिकरण पर जोर देती है।

इसके लिए नई शिक्षा नीति को कुल 4 चरणों में विभाजित किया गया है जो पहले 10+2 था, उसे बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूल शिक्षा तथा 3 साल की स्कूल पूर्व शिक्षा शामिल है। यह चार चरण इस प्रकार हैं:

फाउंडेशनल स्टेज : इस चरण में 3 से 8 साल तक के बच्चों को शामिल किया जायेगा जिसमें 3 साल की स्कूल–पूर्व/आंगनबाड़ी शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (प्राथमिक) शामिल होगी। फाउंडेशन के तहत चरणबद्ध तरीके से भाषा–कौशल और शिक्षण के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

प्रिपरेटरी स्टेज : इस चरण में 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है जहाँ कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे प्रिपरेटरी स्टेज में भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

मिडिल स्कूल स्टेज : इस चरण में 11 साल से लेकर 14 साल तक के कक्षा 6 से 8 के बच्चों को शामिल किया गया है। कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें व्यावसायिक परीक्षण के साथ–साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।

सेकेंडरी स्टेज : इस चरण में 14 साल से लेकर 18 साल तक के कक्षा 9 से 12 के बच्चे शामिल होंगे पहले बच्चों को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी पर अब इसे खत्म करके बच्चे अपनी पसंद के विषय का चयन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स लेना चाहे, तो उन्हें प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के द्वारा और पांचवी कक्षा तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी और पाठ्य–पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर पाठ्य–पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाए तो शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत क्षेत्रीय भाषा में होगी और उन्हें दो से तीन नई भाषा इच्छानुसार सिखाई जाएंगी।

वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र, प्रारभिंक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों) के लिए कार्यरत हैं। लेकिन ये आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः समाज के गरीब वर्ग जो प्राइवेट प्ले–स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। द वायर (2020) की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ियों और पूर्व–स्कूली शिक्षा पर हाल ही में किए गए एक सहयोगी अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश पूर्व–प्राथमिक शिक्षण केंद्रों में शिक्षण गिनती और वर्णों की पहचान पर ही केंद्रित है। जबकि निजी प्री–स्कूलों के अध्ययन में पाया गया है कि गणित, अंग्रेजी, बांग्ला जैसे विभिन्न विषयों पर स्कूल की दीवारों पर प्रदर्शित कक्षाओं की एक अनुसूची के साथ छोटे बच्चों के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली पहले

ही शुरू की जा चुकी है और हिंदी तथा कंप्यूटर के ज्ञान पर भी अत्यधिक बल दिया गया है। जहां तक आंगनबाड़ी द्वारा संचालित प्री–स्कूल शिक्षा कार्यक्रम का संबंध है, एनईपी (2020) इसे एक मात्र परियोजना के रूप में मानता है; जिस प्रारूप में इसकी कल्पना की गई थी और लगभग पचास साल पहले शुरू हुई थी। आंगनबाड़ी प्रशिक्षकों को अभी भी कार्यकर्ता और सहायिका कहा जाता है, और उन्हें मानदेय मिलता है (जो कि देश के अधिकांश हिस्सों में बहुत कम है) क्योंकि; उन्हें अभी भी मानद कार्यकर्ता या स्वयंसेवक माना जाता है। वास्तव में, हम इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि इस आयु वर्ग को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और इसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। स्पष्टता की यह कमी हमारे पूर्व–विद्यालयों में परिलक्षित होती है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा है। यह 1965–66 की कोठारी आयोग की रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ, और 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ जारी रहा, जिसने तीन से छह साल के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत, एनईपी (2020), शिक्षा के पांच साल के आधारभूत चरण की परिकल्पना करता है। जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अब तीन से आठ वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। इसके लिए आंगनबाड़ी, स्कूलों से जुड़े पूर्व–प्राथमिक वर्गों और स्वतंत्र प्री–स्कूल केंद्रों के मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और यह तभी किया जा सकता है जब हमारे पास एक स्पष्ट रोडमैप हो। लेकिन उससे भी अधिक चिंता इस बात की है कि पंचायतें नई राष्ट्रीय नीति को जमीन पर उतारने के लिए कितनी तैयार हैं? कमोबेश यही स्थिति वर्तमान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के बाद से जहाँ एक ओर कक्षा 8 तक नामांकन दर में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर बच्चों का एक बड़ा वर्ग जो पहले शिक्षा से वंचित था, को इस मुख्यधारा में जोड़ा जा सका। केपीएमजी के एक अध्ययन के अनुसार आरटीई अधिनियम आने के पश्चात् स्कूलों के बुनयादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, उदाहरण के लिए स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्धता जो वर्ष 2009–10 में 59 प्रतिशत थी, वर्ष 2013–14 में बढ़कर 85 प्रतिशत हो गयी। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तो इसे शत–प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। 2009 में 6 से 13 वर्ष की आयु के 80 लाख बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे, वर्ष 2014 में यह घटकर 60 लाख रह गए (केपीएमजी, 2016)।

ग्राम पंचायतों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान की अनुसूची 12 में सूचीबद्ध 29 कार्यों में शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकि प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा) पंचायत राज संस्थानों को सौंपने का प्रावधान किया गया है। लोगों के करीब होने के कारण, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चे लिंग, जाति और धर्म के भेदभाव के बिना संबंधित कानूनों और योजनाओं से लाभान्वित हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर सही मायनों में लागू करने के लिए ग्राम पंचायतें विभिन्न एजेंसियों और महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों के ग्राम स्तर के पदाधिकारियों के सहयोग से बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है। इन विभागों द्वारा ग्राम स्तर पर कई समितियों; आंगनबाड़ी स्तर की निगरानी और सहायता समिति (एएलएमएससी) ग्राम, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (बीएचएसएनसी), ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (बीसीपीसी) और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन का प्रावधान है जिनके साथ मिलकर बच्चों के अस्तित्व, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को समन्वय करना चाहिए। अब इसकी सार्थकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एनईपी (2020) के पहले तीन चरण सीधे पंचायतों की कार्य–शैली और इनके अन्य विभागों के साथ तालमेल की स्थिति से प्रभावित होंगे।

साक्षरता शिक्षा के प्रति समाज की धारणा और सैद्धांतिक ढाँचे और छोटे पैमाने के प्रयोगों से उभरने वाली तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर है। आधारभूत साक्षरता को सफल बनाने के लिए सैद्धांतिक ढ़ाँचे के आलोक में प्रारंभिक साक्षरता को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित 'नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी मिशन' से इस तरह की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। इस समय, मूलभूत साक्षरता के उद्देश्यों पर स्पष्टता और आम सहमति होना भी आवश्यक है। इसके अलावा, साक्षरता के विचारों को समझने और व्यक्त करने के साधन के रूप में पहचानना महत्वपूर्ण है (नीलेश कुमार, 2020)।

गतिविधि मानचित्रण संबंधित विषय के मौजूदा कार्यों को गतिविधियों में विभक्त करने तथा इन्हें उपयुक्त स्तर जहां यह कार्य बेहतर रूप में किये जा सकें, पर (केंद्र या राज्य स्तर से स्थानीय सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों) सौंपने की प्रक्रिया है। सरकार के प्रत्येक स्तर को अपने कार्यक्षेत्र की स्पष्ट जानकारी हो और उन कार्यों को करने हेतु वास्तविक अधिकार और शक्तियाँ भी हों यही वास्तविक विकेन्द्रीकरण होगा। अतः गतिविधि मानचित्रण सरकार के एक स्तर से दूसरे स्तर तक आवश्यक कार्यों, विभागों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की दिशा में पहला कदम है। गतिविधि मानचित्रण यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के दो स्तरों के मध्य कार्यो का विभाजन इस प्रकार हो कि उनके कार्यो का अधिकार क्षेत्र भिन्न हो। इस प्रकार गतिविधि मानचित्रण सरकार के विभिन्न स्तरों पर स्पष्टता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर मौजूदा गतिवधि मानचित्रण तथा विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और उन तक पहुँच बनाने में पंचायतों की सार्थक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा और पंचायत विभाग के आदेशों में बेहतर तालमेल होना चाहिए। पंचायतें स्थानीय स्वशासन की ईकाई हैं इसलिए उनकी भूमिका एवं दायित्व, नामांकन, प्रतिधारण एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होना चाहिए। तदनुसार राज्य की भूमिका शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार एवं विकास, पाठयक्रम एवं पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण, वार्षिक शिक्षा कैलेंडर, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की

नियुक्ति एवं स्थानांतरण नीति, शिक्षकों/शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण नीति एवं छात्र शिक्षा स्तर के मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने तक सीमित होनी चाहिए।

सतत् विकास लक्ष्यों को 2030 की तय सीमा में प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी बहस इनका स्थानीयकरण भी है, अर्थात्; इन्हें छोटे–छोटे लक्ष्यों में तोड़कर उप–राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाये। सतत् विकास लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इसके उप–लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पंचायतें इसके लिए योजना बनाने, उन्हें लागू करने, उनकी निगरानी करने और जवाबदेही तय करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

कोविड महामारी का सबसे बुरा प्रभाव हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। इसने न केवल शिक्षा में असमानताओं को जाहिर किया है बल्कि पूरे तंत्र और पंचायतों की लचर भूमिका को भी उजागार किया है। महामारी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है और इसके चलते सभी स्तरों पर बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, इसमें भी लड़कियों की संख्या अधिक है। इस स्थिति का एक दूसरा पहलू यह भी है की बड़े स्तर पर प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे फीस देने की असमर्थता के चलते सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेंगे और इससे पूरे बुनियादी ढ़ांचे पर प्रभाव पड़ेगा। जिन परिवारों के बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षायें अटैंड करने के संसाधन थे और जिनके पास नहीं थे, उनके बीच का शिक्षा का अंतर बढ़ जायेगा और इससे आगे चलकर नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर असर पड़ेगा। प्रवासी मज़दूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में पंचायत अथवा स्थानीय सरकार शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता। इस कार्य को केंद्रीकृत रूप में नहीं किया जा सकता, इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों को पंचायतों को इन कार्यों के निर्वहन के लिए सशक्त बनाना होगा।

संदर्भ

- ❖ टंडन, डॉ. राजेश (2002): प्राइमरी एजुकेशन एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन्स, प्रिया, नई दिल्ली।
- ❖ कुमार, नीलेश, (9 दिसम्बर 2020): द डेविल इज इन दी डिटेल्स, आईडीआर ऑनलाइन (https://idronling.org/nep-2020-and-early-childhood-education/?utm_source=facebookinstagram&utm_medium=social_media&utm_campaign=2021_Old_Articles&utm_content=NEP2020_and_ECE&fblid=IwAR0b5WFUobEx2W-c2mab8_FRZeB_w5rGew5F4kL1nXVSk5ZoKBm4-D3mn_cg)
- ❖ बनूरी, मधुकर, सिद्देश शर्मा, एनईपी (2020): हिट्स एंड मिसिस, (7 अगस्त 2020), आईडीआर ऑनलाइन (https://idronline.org/ncp-2020-hits-and-misses/?utm_source=facebookinstagram&utm_medium=social_media&utm_campaign=2021_Old_Articles&utm_content=NEP2020_hits_and_misses&fbelid=IwAROWUIEqgGDIX-vosvn48g-Fw-WJJNRxrkAhuUVPEgIVPm9VrIDv_jcJD8a4)

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 29

- बनूरी, मधुकर, सिद्देश शर्मा दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: गेटिंग इट डन (22 अगस्त 2020), दी बास्टियन (https://thebastion.co.in/covid-19/the-national-education-policy-2020-getting-it-done/)
- डेवोलुशन रिपोर्ट (2015–16) वेयर लोकल डेमोक्रसी एंड डेवोलुशन इन इंडिया इज हैडिंग टुवर्ड्स? पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (https://www.panchayat.gov.in/documents/20126/devolution2015-16.pdf/d5e26984-5783-3a14-e7f7-6113a6cfa7c4?t=1554884884392)
- मजूमदार, मनाबी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्री–स्कूलिंग? सर्टेनली नॉट टू रेडी चिल्ड्रन फॉर अ रेस (2020): द वायर (https://thewire.in/education/national-educational-policy-pre-schooling-children)
- असेसिंग दी इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट (2016): केपीएमजी (https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Assessing the impact of Right to Education Act.pdf)

❍❍❍❍❍

PROUDH SHIKSHA
Form IV

1.	Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
2.	Periodicity of Publication	Biannual
3.	Printer's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
4.	Publisher's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
5.	Editor's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
6.	Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders, holding more than one percent of the total capital	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

I, Suresh Khandelwal, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 29-2-2024

Sd/-
Suresh Khandelwal
Publisher

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 30

भारत का नव निर्माण और स्वामी विवेकानंद

– ममता सिंह

भारत में प्रखर मनीषियों की सतत् श्रृंखला विद्यमान रही है। यह भूमि महापुरूषों की जन्मदात्री रही है और इन्हीं महापुरूषों की ज्ञान ज्योति से सारा विश्व प्रकाशमान हुआ है। इन्हीं विलक्षण प्रतिभाओं ने अपने अलौकिक ज्ञान से मानव जाति को एक नवीन चिंतन और दिशा प्रदान की तथा विश्व में देश का गौरव बढ़ाया। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं, बल्कि एक महान देशभक्त, विचारक, एक महान वक्ता, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। देश में वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने, समाज के स्वरूप को सुधारने व राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने में जितनी अहम भूमिका स्वामी जी की रही, उतनी शायद किसी महापुरूष की रही हो। उस समय जब संपूर्ण देश पराधीनता की पीड़ा झेल रहा था और भारतीय संस्कृति तथा धर्म को विदेशी धर्मगुरूओं द्वारा तिरस्कृत दृष्टि से देखा जा रहा था, तब इस महान मानव ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपने देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा परचम लहराया कि संपूर्ण पश्चिमी जगत इस महामानव तथा भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गया, जिससे भारत के गौरव एवं भारतीयों के आत्मसम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति की राह में सहायक तथा प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।

स्वामी विवेकानंद का जीवनवृत

भारत की पवित्र आध्यात्मिक परंपरा में अन्नय ज्ञान के भंडार स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1963 ई. में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त पेशे से एक वकील थे तथा इनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। स्वामी जी ने कहा था कि 'मुझमें जितनी भी धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना मौजूद है, उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। उनकी माता प्रेम से उन्हें वीरेश्वर कहती थीं, परंतु नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेन्द्रनाथ रखा गया। बचपन से ही नरेन्द्रनाथ में विलक्षण प्रतिभा के लक्षण दिखते थे। वे अत्यंत प्रखर बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, साथ ही वे अत्यंत चंचल भी थे। उन्होंने अग्रेंजी तथा बांग्ला भाषा की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही कृतिवास बांग्ला रामायण कंठस्थ कर ली थी। स्कूल के समय सिखायी गई एक कविता की पंक्तियों का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। 'जो मनुष्य सकल नारियों में अपनी माँ को देखता है, समस्त मनुष्यों की विपुल संपत्ति को धूल के ढेर के समान देखता है, जो समग्र प्राणियों में अपनी आत्मा को देख पाता है, वही प्रकृत ज्ञानी होता है।' कलकत्ता में स्कूल की पढ़ाई के समय उनकी प्रकृति धर्म प्रवण अवश्य थी, परंतु सभी चीजों की तत्काल जाँच–परख करना उनका स्वभाव था, वह सिर्फ बातचीत से संतुष्ट नहीं होते थे।

सन् 1879 में प्रथम श्रेणी में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर नरेन्द्रनाथ ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए. की शिक्षा प्राप्त की। नरेन्द्रनाथ की विश्वविद्यालयी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत उनके पिता नरेन्द्र का विवाह करना चाहते थे, परंतु नरेन्द्रनाथ गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहते थे।

महर्षि देवेन्द्रनाथ की सलाह से नरेन्द्रनाथ ने बचपन से हीं ध्यान अभ्यास करना आरंभ कर दिया था। सत्य की खोज में वे बह्मसमाज की सभाओं में भी जाने लगे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ–साथ ईसाई, मुसलमान, बौद्ध आदि धर्मों के विषय में भी अध्ययन किया और पाया कि सभी धर्म उन्हीं सब मूल तत्वों की शिक्षा देते हैं, जो हमारा धर्म देता है। ऐसे में उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि फिर सत्य क्या है? इसी के कारण वह कलकत्ता शहर में सत्य की खोज में यहाँ–वहाँ घूमते थे और लंबे–लंबे भाषण सुनकर वह वक्ताओं से प्रश्न करते थे कि 'आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? इस प्रश्न पर सभी वक्ता चौंक जाते थे, परंतु एकमात्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही एक व्यक्ति थे, जिन्होंने नरेन्द्र के प्रश्न का उत्तर दिया था, ''मैनें ईश्वर के दर्शन किए हैं।'' उन्होंने यह भी कहा था, ''मैं तुम्हें भी उनके दर्शन लाभ की राह दिखा दूँगा।'' नरेन्द्रनाथ को सत्य एवं ब्रह्म का साक्षात्कार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के उपरांत ही हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिस पथ के पथिक थे, नरेन्द्रनाथ के अंदर भी वही पथ अवलंबन करने की प्रबल आकांक्षा जाग उठी तथा नरेन्द्रनाथ ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण करने का संकल्प कर लिया। नरेन्द्रनाथ अपने योग्य गुरू परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे तथा स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भारत का भ्रमण किया जिससे इनके ज्ञान में तो वृद्धि हुई हीं, इसके साथ ही वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के दीन–दुखियों की दीन स्थिति से भी अवगत हुए।

स्वामी जी की वेदों तथा उपनिषदों के अध्ययन में रूचि थी। उन्होंने वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन कर उसकी आधुनिक रूप से व्याख्या की। नव्य वेदांत के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तथा समकालीन विचार को स्थान दिया।

स्वामी जी के अनुसार किसी भी देश या व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति जितनी आवश्यक है, उतनी ही भौतिक उन्नति भी। वे देश से गरीबी नाम के अभिशाप को दूर करना चाहते थे। उनका कहना था, ''रोटी का अभाव दूर किये बिना भूखे मनुष्य धार्मिक नहीं बनाये जा सकते। इसलिए रोटी का अभाव दूर करने का उचित मार्ग बताना सबसे पहला तथा मुख्य कर्तव्य है।''

विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति पाना है, परंतु वह यह भी मानते थे कि जब तक मनुष्य शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक दासता, आर्थिक अभावहीनता आदि की स्थिति से मुक्त नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है।

स्वामी विवेकानंद एवं सर्वधर्म सम्मेलन

शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपने वक्तव्य की शुरूआत सभी को धन्यवाद देकर की तथा सभागार में खड़े होकर अमेरिकावासी बहनों और भाईयों कहकर सभा को संबोधित किया। इन शब्दों में

ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे सभी श्रोताओं का हृदय मंत्रमुग्ध हो गया। यह सुनकर सभी स्त्री–पुरूष उठ खड़े हुए और चारों ओर से तालियों की करतल ध्वनि गूँजने लगी। इस अभिभाषण के बाद स्वामी जी विश्वभर में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। शिकागो के सभी समाचार पत्र और पत्रिकाएँ स्वामी जी की प्रशंसा के बखान से ही ओतप्रोत थीं। ''सक्षिप्त व्याख्यान का अधिकांश ही विशेष वाग्मितापूर्ण हुआ था, यह तय है। लेकिन हिंदू संन्यासी ने धर्म महासभा की मूल नीति और उसकी सीमाबद्धता की जितने सुंदर तरीके से व्याख्या की थी, अन्य कोई वैसा नहीं कर पाया। उनके पूरे व्याख्यान के विषय में तथा श्रोताओं पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वे देशभक्ति संपन्न वक्ता हैं और अपनी निश्च्छल उक्तियाँ जिस मधुर भाषा से वे व्यक्त करते हैं, वह उनके गैरिक वसन और ओजपूर्ण मुखमंडल की तुलना में कम आकर्षक नहीं है।'' (न्यूयॉर्क क्रिटिक)

स्वामी जी के 'अमेरिकावासी बहनों–भाईयों संबोधन में विश्व भ्रातृत्व का भाव, विश्व मानवता की शक्ति तथा अखंडता का बीज निहित था जो आधुनिक समय में भी विश्व एकता के गठन के रूप में संचालित है। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की एक नये रूप 'नव्य वेदांत' के रूप में व्याख्या की जिसे यूरोपवासियों तथा वहाँ के पादरियों द्वारा भी सराहा गया। विवेकानंद ने अपने भाषणों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति तथा दर्शन की महानता को पूरे विश्व में सिद्ध किया। विवेकानंद जी पुनः 1899 में यूरोप की यात्रा पर गये तथा अनेक देशों का भ्रमण किया और अपने भाषणों से सिद्ध किया कि पश्चिमी देशों ने भौतिकतावाद के क्षेत्र में कितनी भी प्रगति कर ली हो, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आज भी भारत विश्व–गुरू है।'

1 मई, 1897 को मानव जाति के उत्थान के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसकी स्थापना का उद्देश्य 'अपनी मुक्ति तथा जगत के हित के लिए' था। इस मठ का मुख्य कार्यालय बेलूर मठ, पं. बंगाल में है। इसकी पूरे विश्व में 214 शाखाएँ कार्यरत हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक, धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक तथा लोक हितकारी शिक्षा प्रदान करना और इन सभी के माध्यम से समाज तथा मानव सेवा करना है। रामकृष्ण मिशन के प्रतीक चिह्न में सांप द्वारा घेरे हुए जल में कमल के बीच हंस का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें तरंगपूर्ण जल समूह कर्म का, कमल भक्ति का और सूरज ज्ञान का तथा सांप का घेरा योग और जाग्रत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है तथा हंस के प्रतीक का अर्थ है परमात्मा, अर्थात् कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ होने पर ही परमात्मा का दर्शन संभव होता है।

स्वामी विवेकानन्द का शिक्षा दर्शन

स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का अर्थ मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को माना है। उनके अनुसार ''व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है।'' अर्थात् अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। उनके अनुसार सभी प्रकार का ज्ञान मानव के भीतर ही छिपा है। शिक्षा का कार्य मनुष्य को उस अंतर्निहित ज्ञान से अवगत कराना है।

स्वामी जी शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने यूरोप के भ्रमण के समय शिक्षा की भौतिक

उपलब्धियाँ भी देखी तथा जाना कि भारत की निर्धनता का कारण अशिक्षा है। उनके अनुसार शिक्षा मात्र सूचना प्रदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि अनेकानेक असंबद्ध जानकारियों को मस्तिष्क में ठूस देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। सूचना का कोई महत्व नहीं जब तक उसका उपयोग न हो। उनके अनुसार सिर्फ कुछ विचारों को रटकर डिग्री प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। विवेकानंद के शब्दों में, "यदि तुम सिर्फ पाँच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक समस्त ग्रंथालय को रटने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता, तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश (Encyclopedia) महान ऋषि बन जाते।"

बालक में जन्म से ही ज्ञानराशि स्वतः ही निहित है। उसको अपने ज्ञान का अन्वेषण करना है। न्यूटन ने गुरूत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया यह नियम न तो सेब मैं था, न पृथ्वी के किसी बाहरी पदार्थ में बल्कि यह तो न्यूटन के मन में था जिसे उसने परिस्थिति उत्पन्न होने पर अध्ययन करके उत्पन्न किया। इसी आधार पर कहा जाता है कि आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान मनुष्य के अंदर निहित है। जब धीरे–धीरे आवरण हटता है तो कहा जाता है, मनुष्य सीख रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के मन में ज्ञान इस प्रकार निहित होता है जिस प्रकार चकमक पत्थर में चिंगारी।

शिक्षा के उद्देश्य

स्वामी जी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मन, बुद्धि, चरित्र निर्माण तथा मनुष्य के विकास को माना है। अर्थात् शिक्षा ऐसी हो जो बुद्धि का विकास करे, बालकों का चरित्र निर्माण करे, मानसिक शक्ति का विकास करे और बालक को इस योग्य बनाएँ कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विवेकानंद जी ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना चाहते थे जो मानव निर्माण कर सके। विवेकानंद जी ने शिक्षा को आत्मविकास की प्रक्रिया कहा है। उनके अनुसार "जिस तरह से आप एक पौधा नहीं उगा सकते उसी तरह आप किसी बालक को शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे पौधा स्वयं अपनी प्रकृति को विकसित करता है वैसे ही बालक भी अपने आपको स्वयं शिक्षित करता है।" लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का कोई महत्व नहीं होता है। उनकी मान्यता थी कि शिक्षक की भूमिका बालक के आत्मविकास की शिक्षा के मार्ग की बाधाओं को दूर करना है। जिस प्रकार एक माली का काम पौधों के लिए जमीन को ठीक करना, उसमें समय–समय पर खाद पानी देना आदि है, उसी प्रकार शिक्षक का कार्य बालक को ऐसा परिवेश प्रदान करना है जिसमें उसका समुचित विकास हो सके।

इस प्रकार विवेकानंद बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे बालकों के स्वाभाविक विकास तथा उनकी स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न होता है। प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार विकसित होने के अवसर प्रदान करने चाहिए।

विवेकानंद जी बालकों की शिक्षा व्यवस्था में उनकी स्वतंत्रता के हिमायती थे, वे चाहते थे कि शिक्षा बालकों में आत्मविश्वास का विकास करे। उनके अनुसार शिक्षित व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान

आत्मविश्वास है। वे विद्यार्थियों में धार्मिक शिक्षा के द्वारा अदम्य आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि आत्मविश्वास ही सच्चा धर्म है।

स्वामी जी के विचारों तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्रासंगिकता

स्वामी जी की विचाराधारा एक सर्वव्यापी विचारधारा थी, जिसकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। उनके शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचार भारत के नव निर्माण की नींव हैं। वे हमेशा से ही भारतवासियों को शिक्षित करना चाहते थे जिससे देश का उचित विकास हो सके। इसीलिए वे मानव निर्माण करने वाली शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे। वे चरित्र निर्माण, धर्म परायणता तथा आध्यात्मिक संस्कृति के साथ–साथ आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शिक्षा के भी पक्षधर थे। वे चाहते थे कि बालक को धर्म और अध्यात्म की शिक्षा के साथ विज्ञान व तकनीकि की शिक्षा भी दी जाए जो देश तथा मानव विकास में सहायक हो।

स्वामी जी ने शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को माना है तथा उनके आधुनिक वेदांत के अनुसार बालक में अनन्य ज्ञान व शक्तियों का भंडार विद्यमान है। शिक्षा का उद्देश्य इन शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करना तथा उनकी अभिव्यक्ति करने में सक्षम बनाना है।

शिक्षा ऐसी हो जो मानसिक विकास के साथ–साथ शारीरिक पूर्णता भी प्रदान करे। दुर्बल शरीर अपने लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति में बाधक होता है। उन्होंने कहा कि "तुम गीता पढ़ने के बजाए फुटबाल खेलकर स्वर्ग के अधिक नजदीक पहुँच सकते हो।"

विवेकानंद जी विद्यार्थी को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे कि वह भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। उनके अनुसार भावी जीवन संघर्ष की तैयारी के लिए विज्ञान तथा तकनीकि शिक्षा आवश्यक है तथा शिक्षा ऐसी हो जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे। स्वामी जी के शब्दों में, "ऐ वीर, साहस का अवलंबन करो। गर्व से कहो, मैं भारतवासी हूँ, और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है।" शिक्षा के आधार पर विवेकानंद भारतवासियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास करना चाहते थे।

विवेकानंद का मानना था कि भारत के पतन और अवनति का एक प्रमुख कारण स्त्रियों की अशिक्षा है। स्वामी जी स्त्री–पुरूष समानता के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की समुचित शिक्षा के लिए पुरूषों की तरह स्त्रियों के लिए अलग संघ स्थापित करने पर जोर दिया। वे कहते हैं कि, "जिस प्रकार माता–पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार उन्हें अपनी पुत्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए।" ताकि वे दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं की अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बन सकें।

विवेकानंद की शैक्षिक विचारधारा तथा उनके शैक्षिक उद्देश्य तब से लेकर अद्यतन निरंतर उद्देश्यपरक रहे हैं। उनके विचारों तथा उनके शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी।

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 35

स्वामी जी के दर्शन की प्रमुख विशेषता यही रही कि वे आध्यात्मिक होने के साथ–साथ आधुनिक भी थे। वे योग और ध्यान के साथ विज्ञान व तकनीकि को भी महत्वपूर्ण मानते थे, जो आज भी राष्ट्र निर्माण तथा मानव निर्माण के लिए आवश्यक है। वे चरित्र निर्माण पर विशेष बल देते थे, जिससे व्यक्ति वीर तथा आत्मविश्वासी बने। उनके शैक्षिक उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का प्रारूप आधुनिक काल में भी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। विवेकानंद जी गुरू–शिष्य के संबंध को अत्यधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार गुरू का स्थान माता–पिता से भी उच्च है, जो उसे सत्य का ज्ञान कराता है, वे स्वयं भी अपने पूज्य गुरू स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति पूर्ण समर्पित थे तथा जीवनपर्यंत उन्हीं की शिक्षा का प्रचार–प्रसार करते रहे।

संदर्भ

1. गुप्ता, राहुल (2014), महान शिक्षा शास्त्री। प्रेरणा प्रकाशन, रोहिणी, दिल्ली।
2. पाण्डेय, रामशकल (2004), विश्व के श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री, आगरा : विनोद।

ooooo

"अपनी राजनीतिक समस्याओं का हल धर्मों में खोजना बड़ी भारी गलती थी। धार्मिक विचारों के लिए स्वतंत्रता भले ही रहे लेकिन राजनीति में धर्म का दखल बहुत ही हानिकारक बात है।"

– राहुल सांस्कृतयायन

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 36

विकसित भारत @ 2047 : चुनौतियां एवं अवसर

— कल्पना कौशिक

दुनिया अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है। विकास की इस गति को संचालित करने में प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यन्त शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का एक उपकरण ही नहीं है बल्कि सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हो रहे प्रयासों में जीवनपर्यन्त शिक्षा केवल एक लक्ष्य मात्र नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। इस संदर्भ में पहल करते हुए भारत सरकार वयस्कों को उनकी समृद्धि के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने की लगातार कोशिश करती रही है। जिसके लिए विगत दशकों में अनेक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित भी किया गया है और इन सबके कारण साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज हुई है। पर यह उपलब्धि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पर्याप्त साबित नहीं हो सकी है। इसलिए नवीन पहल करते हुए सरकार ने कई अन्य कार्यक्रमों की संरचना और शुरूआत की है। इनमें से दो पहल अत्यंत हीं उल्लेखनीय हैं, एक, न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम और दूसरा, विकसित भारत @ 2047। न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम अर्थात एनआईएलपी एक योजना है जबकि विकसित भारत @ 2047 एक दृष्टिकोण, दस्तावेज एवं लक्ष्य जिसमें देश और उसके लोगों को विकसित राष्ट्रों के प्रवीण समूह में ले जाने की मनोकामना, संकल्प और कार्य योजना शामिल है।

न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम का लक्ष्य एक पूर्ण साक्षर समाज बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को साक्षरता और विकास के मुख्य धारा में लाना है ताकि वह एक जागरूक नागरिक के तौर पर सक्रिय रूप से राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में भागीदारी कर सके। एनआईएलपी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के बीच असाक्षरता उन्मूलन तथा उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से संपन्न करने की मुहिम है। विगत दो वर्षों के सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप नवाचारी शिक्षण विधियों, समुदाय संलग्नता, और प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर एनआईएलपी आज देश के कोने–कोने में क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि सभी नागरिकों को असाक्षरता की चपेट से मुक्त किया जा सके।

इसी प्रकार, विकसित भारत @ 2047, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में लॉन्च की गई एक प्रमुख पहल और एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा और कौशल अध्ययन के प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय नागरिकों के समृद्धि एवं सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। विकसित भारत @ 2047 ''एक शक्तिशाली भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है''। ''जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो तो हम एक विकसित राष्ट्र हों'' यही इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन का उद्देश्य है।

व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत @ 2047 की यात्रा की चुनौतियाँ और उससे उभरते अवसर समाज को बेहतर बनाने में कितने कारगर सिद्ध होंगे यह तो समय ही बताएगा किन्तु यह यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण है और अहम परिवर्तनों की मांग करती है, जैसे हर व्यक्ति को उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं स्वावलंबी बनाना, समाज में फैली असमानताओं को कम करना, टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देना, आदि। परिवर्तनमूलक यह दृष्टिकोण न केवल आर्थिक समृद्धि को अभिव्यक्ति करता है, बल्कि सामाजिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता भी दिखाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रौढ़ और जीवन पर्यन्त शिक्षा को एक मूल स्तम्भ माना जाता है, जो यहां के लोगों को चुनौतियों का सामना करने, अवसरों का लाभ उठाने, और भारत को विकासशील से विकसित पाएदान तक ले जाने के लिए सक्षम बनाता है।

परिदृश्य की समझ : जीवनपर्यन्त शिक्षा परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जीवनपर्यन्त शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग के तौर पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। साथ हीं साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी बल देती है जो जीवनपर्यन्त शिक्षा की अवधारणा के आवश्यक स्तम्भ हैं :

लचीला और बहुआयामी शिक्षाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में एक लचीले दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है, जिसमें छात्र अपने रूचियों, क्षमताओं और आकांक्षाओं के आधार पर विभिन्न शिक्षा मार्गों का चयन कर सकते हैं। यह बहुआयामी शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती है, जहाँ छात्र पारंपरिक सीमाओं के परे विविध विषयों पर अध्ययन एवं शोध कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण सत्त शिक्षा और अनुकूलता के लिए भी अनिवार्य है।

व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरणः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभिक आयु से ही शिक्षा के मुख्य मानकों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार की शिक्षा छात्रों को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने हेतु एक बेहतर जमीन तैयार करता है जहां उन्हें बौद्धिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल भी प्रदान किया जा सके। यह एकीकरण जीवनपर्यन्त शिक्षा का समर्थन करता है, जो विभिन्न कैरियर मार्गों के लिए आवश्यक कौशलों के साथ छात्रों/व्यक्तियों का सशक्तिकरण करता है और बदलती कार्यबल की मांगों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।

डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षाः तकनीकी के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह मानती है कि शिक्षा तक जन–जन की पहुँच को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करती है, जो लोगों को निरंतर और किसी भी समय शिक्षा में शामिल होने के लिए लचीले और सुलभ माध्यम प्रदान करते हैं।

सत्त और प्रौढ़ शिक्षाः यह नीति जीवन के अलग–अलग चरणों में लोगों की विविध शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सत्त शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के महत्व को स्वीकार करती है। तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा केंद्रों और समुदाय शिक्षा/चेतना केंद्रों की स्थापना को प्रस्तावित करती है ताकि इस मंच का उपयोग कर शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं के मददेनजर शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि तक शिक्षा संस्थानों का लाभ ले सकें।

विचारशीलता, कौशल और समस्या समाधान के महत्व पर ध्यानः एनईपी 2020 छात्रों के बीच गंभीर विचार, रचनात्मकता, और समस्या समाधान कौशलों के विकास पर जोर देती है। ये कौशल जीवनदायी शिक्षा के लिए आवश्यक हैं जो व्यक्तियों को जटिल मुददों का विश्लेषण करने, नवाचारी समाधान प्रस्तुत करने और नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

समग्ररूप में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में जीवनपर्यन्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। लचीलापन, एकीकरण, डिजिटल नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करके, यह नीति सभी उम्र के लोगों को सतत शिक्षा और उनके अनुभवों के आलोक में उनकी पूरी क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है।

भारत के विकास के लिए एक शिक्षित समाज की अनिवार्य आवश्यकता है – एक ऐसा समाज जहां व्यक्तियों को सभी उम्र और पृष्ठभूमियों के साथ विशेष ज्ञान, कौशल, और दृष्टिकोण प्राप्त होता है, ताकि एक बदलते युग की बदलती परिस्थितियों में भी वे सफलतापूर्वक स्वयं को संचालित कर सकें।

चुनौतियाँ और अवसरः ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका आकार या तो राष्ट्रीय है या वैश्विक तथा इनके निराकरण हेतु व्यापक स्तर पर जन–जागृति एवं शैक्षिक पहल की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन चुनौतियों के सामना का पथ भी प्रदर्शित करती है।

जलवायु संकटः प्राकृतिक संरक्षण के लिए शिक्षा

हमारी शिक्षा नीति में समाज से जुड़े हर पहलू को विहंगम दृष्टि से देखने और उस पर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जलवायु संकट की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है, जहां से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि पर्यावरणीय जीवन शैली और पर्यावरणीय संरक्षण को नैतिक मूल्यों में समन्वित करते हुए समाज को इसे अंगीकार करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें अनेक विषय जैसे प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, अधिकाधिक पेड़ लगाना, जंगलों का संरक्षण, जल ईकाईयों का संवर्धन, प्रदूषण से मुक्ति आदि शामिल हैं।

तकनीकी विस्तारः अनुकूलन के लिए शिक्षा

तकनीकी विकास जो कि निश्चय ही नवाचार और वृद्धि के अवसर प्रदान करता है, के आगमन के

साथ, उसके सदुपयोग करने की आवश्यकता है ताकि कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी कर उन्हें स्थायी किया जा सके और डिजिटल दुष्प्रभाव को कम किया जा सके।

जनसांख्यिक परिवर्तनः समावेशी शिक्षा के लिए

भारत की जनसांख्यिक विविधता एक चुनौती है तो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिक लाभ भी। पर यह लाभ देश और समाज को मिल सके इसके लिए जरूरी है कि देश के सामान्य जन का दृष्टिकोण समावेशी हो तथा इसके साथ ही साथ वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, और आर्थिक भागीदारी के प्रति भी एक व्यापक दृष्टिकोण अपना सके।

भौगोलिक गतिविधिः वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा

भौगोलिक गतिविधियों को निर्धारित करते समय भारत को एक बहुलतावादी दृष्टिकोण से संपन्न समाज के रूप में तैयार करने की जरूरत है जहां नागरिक ज्ञान, कौशल, और अंतरसांस्कृतिक संवाद के साथ वैश्विक दृष्टिकोण से भी संपन्न हों।

संसाधन की कमी प्रतिरोध के लिए शिक्षा

संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों के निराकरण हेतु जरूरी है कि लोगों में संसाधन जुटाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी हो और वे सतत विकास के लिए संसाधन प्रबंधन की दिशा में सार्थक पहल कर सकें।

निष्कर्षः विकसित भारत @ 2047 की ओर का मार्गदर्शन

विकसित भारत @ 2047 की ओर अपनी यात्रा पर अग्रसर देश के लिए जरूरी है कि वह विविध क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जीवन पर्यन्त शिक्षा के कारण उपलब्ध अवसरों का भरपूर लाभ ले। साथ हीं साथ जीवन पर्यन्त शिक्षा की राह में उपस्थित बाधाओं को दूर कर इसे जन सामान्य के लिए और भी सहज और सुलभ बनाया जाना आवश्यक है। सभी पहल व्यक्तियों को आधुनिक दुनिया में समृद्धि के लिए आवश्यक उपकरण, तकनीक और कौशल प्रदान करने की दिशा में की जानी चाहिए। इस दिशा में सरकार का मुख्य ध्यान डिजिटल साक्षरता पर है ताकि आज के समाज में प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता को स्वीकार करते हुए उसका लाभ लिया जा सके। भारत @ 2047 का एक महती उद्देश्य प्रौढ़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करके डिजिटल अंतर को दूर करने का है ताकि सभी लोग डिजिटल संसाधनों और उपकरणों का उपयोग सुगमता और प्रभावी रूप से कर सकें। इस पहल में शामिल विभिन्न घटकों के अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को बढ़ाने में व्यावसायिक कौशल के महत्व को मानते हुए, विकसित भारत @ 2047 विभिन्न उद्योगों और आर्थिक जगत की विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रेणी भी

उपलब्ध कराता है। नए कौशल प्राप्त करने या मौजूदा कौशल को अपग्रेड करने के लिए व्यक्तियों को अवसर प्रदान करते हुए इस पहल का उद्देश्य उनके आर्थिक जीवन को निरंतर मजबूत बनाना है ताकि वे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

कुल मिलाकर विकसित भारत @ 2047 भारत भविष्य के लिए एक साहसी और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है – एक ऐसा भारत जहाँ हर नागरिक शिक्षित हो, कौशल युक्त हो और मजबूती से अपने इर्द–गिर्द उपस्थित पूरी संभावना का सदुपयोग कर सके। डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन की शिक्षा जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देकर, यह पहल न केवल व्यक्तियों को ऊँचा उठाने का उद्देश्य रखती है बल्कि राष्ट्र को सतत विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य रखती है। सरकार, शैक्षिक संस्थान, सिविल सामाजिक संगठनों, और अन्य स्त्रोतों के सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, विकसित भारत @ 2047 एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो सकारात्मक परिवर्तन को आत्मसात करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश करता हैं।

जब हम पिछले वर्षों की ओर विचार करते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमें ध्यान आता है कि प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यत्न शिक्षा के कार्य के प्रति हमें पुनः प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। हमें सहयोग, नवाचार, तथा नीतियों और कार्यक्रमों के लिए विश्वसनीय पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए जो सभी के लिए शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध करा सकें। हम सब मिलकर निश्चय ही एक उज्जवल, और समावेशी भविष्य बना सकते हैं – जहाँ हर वयस्क को अपनी पूरी संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्राप्त हो सके और वह अपने सपनों को साकार कर सके।

○○○○○

"हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है, जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र की नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है।"

– स्वामी विवेकानन्द

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 41

डिजिटल शिक्षा : शिक्षा का एक समावेशी दृष्टिकोण

– सोमू सिंह
– प्रतीक चौरसिया

वर्तमान समय में शिक्षा एक नवीन समायोजन एवं प्रतिमान विस्थापन की प्रक्रिया से गुजर रही है। इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु है – डिजिटल शिक्षा। समकालीन शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल शिक्षा एक उभरती हुई पद्धति है। डिजिटल शिक्षा विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के साथ–साथ सीखने की पूरी प्रक्रिया को समृद्ध एवं लचीला बनाने का बुनियादी काम कर रही है। समाज में शिक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षा समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए डिजिटल शिक्षा एक वरदान की तरह है। उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लेख में डिजिटल शिक्षा के मूल समावेशी दृष्टिकोण आधारित विभिन्न पहलुओं पर विमर्श प्रस्तुत किया गया है। इस लेख में भारत में डिजिटल शिक्षा की उपयोगिता एवं भविष्य को रेखांकित करने का भी प्रयास किया गया है। यह लेख शिक्षा के हितधारकों, विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए जो विद्यालयी शिक्षा में अपना योगदान दे रहें हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है।

भारत डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से प्रगति कर रहा है। वर्तमान समय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा डिजिटलीकरण को अपनाने, इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने और विद्यार्थियों की बढ़ती मांग के कारण समर्थित है। ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों को ड़िजाइन करने, देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इसका क्रियान्वयन करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है, जैसे – पीएम ई–विद्या कार्यक्रम (PMeVIDYA programme), स्वयं (SWAYAM), स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha), ई–यंत्र (e - Yantra), वर्चुअल लैब्स (Virtual Labs) आदि। इस प्रकार के ऑनलाइन इंटरफ़ेस डिजिटल शिक्षा को बुनियादी रूप से सशक्त एवं समृद्ध करने का कार्य वर्तमान समय में कर रहे हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों को उनकी सुविधा एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का प्रयास भी हो रहा है। भारत में डिजिटल शिक्षा स्पष्ट रूप से मूल शिक्षा प्रक्रिया के लिए सहयोगी की भूमिका में है। डिजिटल शिक्षा का स्वरूप अपने आप में पूर्णतया समावेशी है क्योंकि इसका प्रयास एवं इसकी प्रवृति समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की है। डिजिटल शिक्षा खासकर कोविड जैसी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से संघर्षरत समय में बेहद उपयोगी है। डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा की प्रक्रिया दोनों को जीवंत रखने में सहायक सिद्ध हुई है। भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय एवं पूर्णतया उपयोगी सृजनात्मक इंटरफेस का निर्माण कर प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के नए आयाम से जोड़ा है। यह आयाम न सिर्फ विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है अपितु यह इनके सीखने

के तरीके में भी सकारात्मक एवं रचनावादी परिवर्तन लाने में सहायक है। सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ई–लर्निंग को और अधिक सुलभ बनाने और भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए मई 2020 में पीएम ई–विद्या कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाना है और इससे लगभग 25 करोड़ स्कूली छात्रों को लाभ होने की संभावना है।

आज के वैश्विक परिवेश में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजिटल शिक्षा अत्यंत अवश्यक है। हालाँकि, यहाँ यह नहीं मान लेना चाहिए कि 'ई–लर्निंग' आमने–सामने (face to face interaction) सीखने से बेहतर है। बल्कि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि शिक्षण और सीखने में डिजिटल मीडिया का उपयोग करने के फायदे और नुकसान हमेशा होते हैं। विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाएँ जब सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगी तो भी इसकी आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी। डिजिटल शिक्षण सामग्रियों को विकसित करने एवं प्रोत्साहित करने का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए क्योंकि छात्रों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने के लिए स्व–निर्देशित, सहकारी एवं इंटरैक्टिव डिजिटल शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वर्तमान समय में व्याख्यानों और संगोष्ठियों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने और अधिकांश छात्रों के अध्ययन के लिए इसे संभव बनाने के लिए इसमें लचीलापन लाया गया है। यह प्रयास व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कम समय में, तकनीकि बुनियादी ढाँचे में बहुत निवेश किया गया है। कई विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में यह महसूस किया गया है कि डिजिटल शिक्षण की उत्कृष्टता हेतु डिजिटल बुनियादी ढाँचा अति आवश्यक है तथा उन्हें बेहतर ढ़ंग से मुहैया करने की आवश्यकता है।

डिजिटल शिक्षा की अवधारणा

डिजिटल शिक्षा शिक्षण और सीखने के दौरान डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का अभिनव उपयोग है। डिजिटल शिक्षा को अगर सरल तरीके से समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरे शिक्षण और सीखने के दौरान डिजिटल तकनीकों और उपकरणों का सरल एवं संदर्भगत (contextual) उपयोग है। इसे अक्सर टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (Technology Enhanced Learning -TEL) या डिजिटल लर्निंग भी कहा जाता है। डिजिटल प्रौद्योगकियों के उपयोग की खोज करने से शिक्षकों को उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में 'आकर्षक सीखने के अवसरों' को डिजाइन करने का अवसर मिलता है, और ये मिश्रित या पूरी तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रम का रूप ले सकते हैं। डिजिटल शिक्षा मूल रूप से शिक्षा को एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित कर विद्यार्थियों के सीखने को सरल एवं लचीला बानाती है। इन वर्चुअल इंटरफ़ेस पर विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत विषय, डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डिजिटल शिक्षा एक नवीन शिक्षण प्रयोग के लिहाज से सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। डिजिटल लर्निंग एक उन्नत तकनीकि माध्यम है, जो शिक्षार्थियों को बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वे किसी भी समय किसी भी स्थान से अपनी सुविधाजनक गति से समय सारणी और शेड्यूल की चिंता किए बिना अध्ययन कर सकते हैं। यह अनुभव डिजिटल तरीके से सीखने एवं सीखाने की इच्छा के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता

है और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में उम्मीद को एक निश्चित स्तर तक भी बढ़ा सकता है।

समावेशिता और डिजिटल शिक्षा

वर्ष 2020 के दौरान कोविड–19 महामारी ने सामान्य शिक्षा प्रणालियों के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की। ऐसी चुनौतियाँ जिनका समाधान निकालना इतना सहज नहीं था। किसी भी परिस्थिति में शिक्षा तभी पूरी तरह से फलित हो सकती है जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज एवं सामान्य रूप से उपलब्ध हो। डिजिटल शिक्षा इस प्रकार की चुनौतियों का एक सटीक एवं शक्तिशाली हल है। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वर्तमान में डिजिटल शिक्षा को बुनियादी रूप से सशक्त एवं समृद्ध करने का कार्य लगातार कर रही है। साथ ही साथ सरकार विद्यार्थियों को उनकी सुविधा एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में, डिजिटल शिक्षा प्रणालियों में प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और बुनियादी ढाँचा भी आवश्यक होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के लिए धन की उपलब्धता पर्याप्त रहेगी। वित्त की कमी, ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और डिजिटल उपकरणों की कमी एक बुनियादी समस्या है। डिजिटल शिक्षा का स्वरूप अपने आप में पूर्णतया समावेशी है क्योंकि इसका प्रयास एवं इसकी प्रवृति समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने की है। डिजिटल शिक्षा मूल रूप से बेहद उपयोगी है। खासकर यह कोविड जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं से संघर्षरत समय में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा की प्रक्रिया दोनों को जीवंत रखने में सहायक सिद्ध हुई है। डिजिटल शिक्षा वर्तमान समय में शिक्षा को जन–जन तक सहज रूप में पहुँचाने का काम कर रही है। यह स्वयं में समावेशन को धारण किए हुए है। इसका उपयोग करके शहरी, ग्रामीण एवं किसी प्रकार के भौगोलिक परिवेश में उपस्थित विद्यार्थी अपने घरों के भीतर रहते हुए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

पेरिस में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ने अभी–अभी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के शिक्षण, अनुसंधान और प्रबंधन पर कोविड–19 के प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है (मेरिनोनी, वैनट लैंड, और जेन्सेन, 2020)। इस रिपोर्ट के अनुसार, मार्च और अप्रैल में 111 देशों के विश्वविद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया था। यूरोप में लॉकडाउन चरम पर था और 85 प्रतिशत यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने संकेत दिया कि दूरस्थ शिक्षा सामान्य अध्ययन कार्यक्रमों की जगह ले लेगी, 12 प्रतिशत समाधान तैयार कर रहे थे, जबकि 3 प्रतिशत विश्वविद्यालय कक्षाओं को पूरी तरह से रद्द करने की योजना बना रहे थे। ऐसी जटिल परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा एक वरदान की तरह साबित हुई है। इस डिजिटल युग में, बहुत सारे छात्र व्यवसाय, कला, इंजीनियरिंग के साथ–साथ प्रोग्रामिंग भाषाओं और तकनीकि उपकरणों सहित लगभग हर क्षेत्र में धीरे–धीरे लेकिन लगातार ऑनलाइन डिजिटल पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक शुभ संकेत है। विद्यार्थियों के इस बढ़ते हुए रूझान को देखते हुए यह कहना सही होगा कि अब शिक्षा में आने वाला युग डिजिटल शिक्षा का है।

भारत में डिजिटल शिक्षा

भारत सरकार सभी के लिए सीखने के समान अवसर सुनिश्चित करने के साथ अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को पूर्णतः रेखांकित किया है। सीखने के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पुरजोर समर्थन किया है। साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षा का पूर्ण विस्तार किया जाना चाहिए और भविष्य की सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना का निर्माण भी होना चाहिए। जिसमें बुनियादी डिजिटल ढाँचे की पूर्ण उपलब्धता, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, सामग्री निर्माण, डिजिटल भंडार और प्रसार एवं वर्चुअल लैब्स की स्थापना करना अदि प्रमुख हैं।

तालिका 1 – देश भर में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफ़ारिशें

क्रमांक	सिफारिशें
1	ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन
2	डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
3	ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण
4	सामग्री निर्माण, डिजिटल भंडार और प्रसार
5	डिजिटल डिवाइस का निराकरण
6	वर्चुअल लैब्स
7	शिक्षक के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन
8	ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा
9	सीखने के मिश्रित मॉडल
10	मानकों का निर्धारण

सीखने के परिणामों, सीखने की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार एवं प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (The National Mission on Education through Information and Communication Technology - NMEICT) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है जो किसी भी समय किसी भी मोड में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आई.सी.टी. (ICT) का लाभ उठाने के लिए लाया गया है।' यह मिशन भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में सक्रिय

है। मिशन में मुख्य आठ घटकों पर विशेष रूप से बल दिया गया है जिनके संवर्धन एवं विकास से भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल शिक्षा को समृद्ध करने में सहायता मिल सकेगी। यह प्रमुख आठ घटक निम्न हैं – पहुँच प्रदान करें, गुणवत्ता प्रदान करें, डिजिटल डिवाइड को भरना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, समता प्रदान करें, कनेक्टिविटी प्रदान करें, शिक्षकों/शिक्षार्थियों को सशक्त बनाएँ। स्वयं, स्वयंप्रभा और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन संसाधनों को खोजने, सीखने और उपयोग करने की आवश्यकता को पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सभी डिजिटल समावेश एवं शिक्षार्थियों के बीच उनकी सुविधा के अनुसार अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य की पूर्ति करने को प्रतिबद्ध हैं। इससे समावेश की संस्कृति का निर्माण हो रहा और समानता को भी बढ़ावा मिल रहा।

तालिका 2 – भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल

क्रमांक	डिजिटल शिक्षा की प्रमुख पहल	डिजिटल शिक्षा हेतु प्रमुख पहल एवं उनकी विशेषताएं	वेबसाइट की लिंक
1	पीएम ई–विद्या (PM eVidya)	एक व्यापक पहल है जिसे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों द्वारा शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी–मोड पहुँच को सक्षम बनाने के लिए।	https://pmevidya.education.gov.in
2	दीक्षा (DIKSHA)	दीक्षा भारत में स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है।	https://diksha.gov.in
3	स्वयं (SWAYAM)	स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धातों, अभिगम (एक्सेस), इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुँचाना है।	https://swayam.gov.in
4	स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA)	स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों का एक ऐसा समूह है जो जीसैट–15 उपग्रह का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण 24–7 करने के लिए समर्पित है।	https://www.swayamprabha.gov.in

क्रमांक	डिजिटल शिक्षा की प्रमुख पहल	डिजिटल शिक्षा हेतु प्रमुख पहल एवं उनकी विशेषताएं	वेबसाइट की लिंक
5	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) (NATIONAL DIGITAL LIBRARY) (NDL)	भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) एक परियोजना है, जिसको समग्र रूप में विकसित करने के लिए आईआईटी खड़गपुर को सौंपा गया है। इस सुविधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को ई–सामग्री/ संसाधन को सिंगल विंडो एक्सेस पर प्रदान किया गया है।	https://ndl.iitkgp.ac.in/
6	ई–यंत्र (e-YANTRA)	ई–यंत्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और आईआईटी बॉम्बे में आयोजित एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम है। जिसका लक्ष्य कृषि, विनिर्माण, रक्षा, गृह, स्मार्ट सिटी रखरखाव और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रोद्यौगिकी का उपयोग करके समस्याओं का हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करना है।	https://new.e-yantra.org/
7	आभासी (VIRTUAL LAB)	वर्चुअल लैब्स परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एन.एम.ई. आई.सी.टी.) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वाधान में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट के तहत लगभग 700+वेब सक्षम प्रयोगों से युक्त 100 से अधिक वर्चुअल लैब्स को रिमोट–ऑपरेशन और देखने के लिए डिजाइन किया गया है।	https://www.vlab.co.in/
8	(फोस्सी) FOSSEE	यह एक प्रकार का FOSSEE फ्री लिबर और (ओपन सोर्स) शिक्षा में सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने वाली परियोजना है। फोस्सी उपकरणों का इस्तेमाल हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा।	https://fossee.in

डिजिटल शिक्षा की उपयोगिता

दुनिया भर की सरकारें सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपनी शैक्षिक प्रणालियों के भीतर डिजिटल समावेशन के महत्व को देख रही हैं। इसकी वर्त्तमान उपयोगिता को अब नकारा नहीं जा सकता। यह अधिगम का एक सुगम माध्यम बन के उभरा है। भारत में डिजिटल शिक्षा ने अधिगम के नए आयामों को दर्शाया है। सभी मुख्य शिक्षण संस्थानों ने इसे पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

डिजिटल शिक्षा की कुछ प्रमुख उपयोगिताएँ

निजीकृत अधिगम

डिजिटल लर्निंग के सबसे बड़े लाभों में से एक यह है कि यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तरीके से सीखने की योजना बनाने तथा पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति देता है। सामान्य व्यवस्था में, जहाँ विद्यार्थियों का समूह एवं एक शिक्षक होता है, इन परिस्थितियों में कक्षा की गति हमेशा विद्यार्थियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि आप उन्नत विद्यार्थी हैं, तो आपको दूसरों के लिए प्रतीक्षा करनी होती है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी–कभी आप पीछे छूट सकते हैं क्योंकि आपके पास अन्य विद्यार्थियों की तुलना में पर्याप्त समय नहीं होता है। डिजिटल लर्निंग के साथ, शिक्षक विद्यार्थियों की ज़रूरतों के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को प्रारूपित करने में सक्षम होता है।

रूचिपूर्ण एवं जीवंत अधिगम प्रणाली

जब विद्यार्थी डिजिटल रूप से सीखते हैं, तो उन्हें अकसर यह एहसास ही होता कि वे सीख रहे हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया इतनी आकर्षक है। यह प्रभावी और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण की मदद से छात्रों के बीच रूचि पैदा करने में मदद करता है। इसका जुड़ाव सभी विद्यार्थियों के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अपनी रूचि का विषय एवं उनका अधिगम करने का चुनाव करते है। इस तरह हम स्कूल से मिलने वाली शिक्षा का डिजिटल रूप भी देखते है जो विद्यार्थियों में आनंद एवं उत्साह का भाव लाती है।

विद्यार्थियों में जवाबदेही विकसित करता है

विद्यार्थी अक्सर स्वयं के सीखने की प्रक्रिया को पसंद या नापसंद केवल इसलिए करते हैं, क्योंकि वे उस संतुष्टि का आनंद लेते हैं जो अधिक जानने से एवं सरल तरीके से आती है। इस तरह के शैक्षिक पथ पर युवा छात्रों को पारंपरिक प्रारूप के तहत सीखने वालों की तुलना में समस्या–समाधान, अवधारणा मानचित्र, कहानी कहने, सरलीकरण और भूमिका निभाने का बहुत अधिक अनुभव होगा। डिजिटल लर्निंग विद्यार्थियों की शिक्षा पर स्वामित्व को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है। डिजिटल शिक्षा में विद्यार्थी सदा इस बात को जानता है कि उसकी उपलब्धियों का आकलन निरंतर होता रहता है, और उनके पास इसका पता लगाने के लिए तकनीक और संसाधन उपलब्ध रहते हैं। अतः विद्यार्थियों में यह सजगता सीखने की प्रक्रिया में भी बनी रहती है।

सीखने का लचीलापन

डिजिटल लर्निंग प्रत्येक विद्यार्थी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इसका मतबल है कि पाठों के वितरण में अधिक लचीलापन है। यह एक अलग तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जितना आसान हो सकता है। डिजिटल शिक्षा में विद्यार्थी कहीं भी, कभी भी सीखने की सुविधा का लाभ पूरी तरह से उठाता है जो काफी हद तक विद्यार्थियों को एक उपयोगी लचीलापन प्रदान करती है। यह लचीलापन आंकलन एवं सीखने दोनों में लाभकारी है। इस प्रकार का लचीलापन निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उत्साहित करता है एवं सीखने के तरीकों को भी प्रभावित करता है।

पूर्व में रिकॉर्ड की गई अधिगम सामग्री

जिन लोगों ने ऑनलाइन पाठों का अनुभव किया है, वे कहेंगे कि यह कितना मूल्यवान है कि कुछ पाठ रिकॉर्ड किए गए हैं जिनको बाद में देखा सुना या दोनों प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। यदि आप अध्ययन की प्रक्रिया में कुछ चूक जाते हैं, तो आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं और बाद में उस बिंदु को पुनः सुन, देख एवं समझ सकते हैं। यह आपको अधिगम के लिए अपने समय में अतिरिक्त अध्ययन करने की सुविधा भी देता है। मान लीजिए कि आप उस बिंदु को ठीक से नहीं समझ पाए जो शिक्षक बता रहे थे। लेकिन पाठ को समझने के लिए आपको उस बिंदु को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में डिजिटल शिक्षा की यह विशेषता कारगर सिद्ध होगी। जब पाठ रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से उस बिंदु पर विस्तार से चिंतन करने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। यह सभी उम्र के छात्रों, विशेषकर कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। प्रारंभिक विकास में बच्चों को दोहराव से बहुत फ़ायदा होता है। यह उन्हें पाठों के बीच में ऐसा करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें बहुत तेजी से प्रगति करने में मदद मिलती है।

सूचना के आदान प्रदान को तेजी से बढ़ाता है

जिस तरह से हम जानकारी का उपभोग और साझा करने में सक्षम हैं, उस पर डिजिटल लर्निंग का समान प्रभाव पड़ रहा है। यह छात्रों को अधिक जानकारी तक पहुँचाने में मुख्य रूप से सहायक है। यह उन्हें विशेष रूप से उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने मे सक्षम बनाता है, जैसे – मुक्त शैक्षिक संसाधन (Open Educational Resources-OER) एवं अन्य संचार सॉफ्टवेयर। यह समय और पैसा भी बचाता है। इसके कारण अब बड़ी मात्रा में पाठ्यपुस्तकों को खरीदने या किराए पर लेने की विद्यार्थियों की मजबूरी पहले से बहुत कम हो गई है। डिजिटल अधिगम परिदृश्य ने शिक्षकों के लिए भी विभिन्न परिस्थितियाँ पैदा की हैं, जिससे सूचनाओं को तेजी से साझा करना भी संभव हो गया है। इसका एक तात्कालिक उदाहरण महामारी जैसी परिस्थितियों में भी शिक्षा सेवाओं को बंद नहीं करना है। इस प्रकार का मंच प्रत्येक छात्र के लिए समान अवसर प्रदान करता है और उनकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है।

कुछ अन्य प्रमुख उपयोगिताएँ

- ❖ शैक्षणिक संस्थान डिजिटल शिक्षा की मदद से अपनी गतिविधियों को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं जिससे संस्था के समय और धन की बचत होती है।
- ❖ यह ज्ञान को आसानी से और समान रूप से स्थांतरित करने में काफी सहयोगी है। विद्यार्थियों से संबंधित अकादमिक विषय पर संस्थान और माता–पिता के बीच आसान संचार स्थापित करता है।
- ❖ अध्ययन सामग्री को मल्टीमीडिया माध्यम से कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। संवादात्मक शिक्षण सामग्री के माध्यम से कई अवधारणाओं को समझना एवं याद रखना काफी हद तक सफल रहता है।
- ❖ विद्यार्थी छूटे हुए व्याख्यान की शिक्षण सामग्री को आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां

कोविड काल के समय में सभी शिक्षार्थी सीखने में उत्पन्न व्यावधान से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। इस समकालीन समस्या का एक हल डिजिटल शिक्षा के रूप में हैं, परंतु डिजिटल शिक्षा की भी कुछ चुनौतियां हैं। डिजिटल शिक्षा की यह चुनौतियां डिजिटल समावेशन में एक मुख्य बाधा बन सकती है। इन चुनौतियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक छात्रों तक डिजिटल शिक्षा का लाभ पहुंचाया जा सके। संस्थानों द्वारा सजीव कक्षाओं के सुगम संचालन के लिए निर्बाध हाई–स्पीड इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सॉफ्टवेयर टूल होना अति आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा केवल कंप्यूटर/लैपटाप/मोबाइल पर संकाय की मौखिक प्रस्तुति नहीं है, अपितु इसमें कई अन्य प्रकार के घटकों का समावेश है। सभी के लिए सीखने, साक्षरता, स्वायत्तता और भागीदारी का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए एप्लिकेशन और सुलभ ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता न होना भी एक अहम समस्या है।

1. डिजिटल ढांचे की अनुपलब्धता

डिजिटल ढांचे की अनुपलब्धता डिजिटल शिक्षा के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है। डिजिटल शिक्षा अनुपलब्धता डिजिटल तरीके से सीखने, सिखाने एवं डिजिटलीकरण की पूरी प्रक्रिया में एक बाधा के तौर पर कार्य कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए बिना डिजिटल उपकरण के सीखना एवं शिक्षकों के लिए सीखाना दोनों ही अपने आप में एक चुनौती है। डिजिटल ढांचा उन डिजिटल तकनीकों को संदर्भित करता है, जो किसी संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी और संचालन के लिए आधार प्रदान करती है। बुनियादी डिजिटल ढ़ांचे में कुछ प्रमुख भौतिक संसाधन शामिल हैं, जैसे–कम्प्यूटरीकृत उपकरण, डेटा कनेक्शन, डिजिटल डिवाइस, कम्प्यूटर और अन्य सहायक डिवाइस।

डिजिटल ढाँचे के सहयोग से विद्यार्थियों को किसी भी प्रत्यय को डिजिटल तरीके से बताने में शिक्षक को काफी सहजता होती है। यह तकनीकि ढाँचा जमीनी स्तर पर डिजिटल शिक्षा का क्रियान्वयन संभव कर सकते हैं तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने पर पूर्ण सहयोग

प्रदान करते हैं। इस आधार पर डिजिटल ढाँचे को बेहद सशक्त एवं क्रियान्वयन रूप में उपलब्ध कराने से किसी भी स्तर पर शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सहायता प्रदान होती है।

2. डिजिटल शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव

डिजिटल शिक्षा के प्रति जागरूकता एक अहम मुद्दा है। किसी भी प्रणाली को उपयोगी तभी कह सकते हैं, जब उसका विधिवत प्रयोग किया जाए या उस प्रणाली की प्रभावशीलता तभी मालूम पड़ती है, जब उसका यथावत प्रयोग होता हो। यही बात डिजिटल शिक्षा के लिए भी लागू होती है। वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा के कई कार्यक्रम पूरे वैश्विक स्तर पर लागू हैं, विशेषतः भारत में इन कार्यक्रमों का बेहतर इस्तेमाल तभी हो सकता है जब इनके बारे में पर्याप्त जागरूकता हो। जागरूकता होने का पर्याय इनकी बुनियादी सूचना होने से है। डिजिटल शिक्षा अभी एक नवीन शिक्षण पद्धति है जिसके प्रति पर्याप्त जागरूक होने से विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ हो सकता है।

डिजिटल शिक्षा की कुछ अन्य चुनौतियां

- ❖ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का चयन एवं उचित उपयोग
- ❖ गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री का विकास
- ❖ प्रशिक्षित प्रशिक्षक का अभाव
- ❖ अवधारण (रिटेंशन) करने की समस्या
- ❖ किफायती और मजबूत इंटरनेट की उपलब्धता
- ❖ अधिगम उपयोगी डिजिटल उपकरण
- ❖ डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण एवं पर्याप्त तकनीकी सहायता

निष्कर्ष

विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए सिर्फ पारंपरिक तरीके, जैसे–सफेद चाक और ब्लैक बोर्ड शिक्षण पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। आज हम जिस तरह से सीखते हैं उसमें एक पूर्ण क्रांति हुई है जो प्रौद्योगिकी द्वारा लायी गयी है। डिजिटल स्क्रीन के द्वारा प्रत्येक बच्चे को शिक्षकों से समान आधार पर सामग्री और इनपुट प्राप्त करने में सुविधा होती है। साथ ही साथ यह विभिन्न निर्देशात्मक शैलियों को भी जोड़ता है। यह विशेषता डिजिटल युग में विद्यार्थियों के जुड़ाव का प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रत्येक विद्यार्थी एक साथ एक इंटरफेस पर सीखते हैं एवं अपनी योग्यता में इजाफा करते हैं। सीखना पहले से कहीं अधिक रोचक, व्यक्तिगत और आनंददायक बन गया है। स्कूल शिक्षण में भी इस तकनीकी समावेश के साथ विद्यार्थी आंनददायक, आसान, सक्षम और सबसे बढ़कर आगे महसूस करने लगे हैं। अब समय आ गया है कि वर्तमान डिजिटल युग में कुछ सैद्धांतिक परिवर्तन किया जाए जिससे सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में डिजिटल शिक्षण एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन यह कभी भी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। महामारी के बाद के परिदृश्य में, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा निश्चित रूप से अवसरों और चुनौतियों

से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच संतुलन बनाने की सार्थक पहल के साथ पठन–पाठन में डिजिटल शिक्षा का समावेशन किया गया है, ताकि शिक्षा शिक्षण के मिश्रित रूप के अनुरूप, उत्कृष्टता की नई उंचाईयों तक पहुंचे। डिजिटल शिक्षा ने गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए सीखने एवं सिखाने का मार्ग प्रशस्त किया है जो भारत को शिक्षा जगत में एक स्थायी एवं मूलभूत सहयोग प्रदान कर रहा है।

संदर्भ

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www.mhrd.gov.in/
- ज़वाकी–रिक्टर ओ. जर्मनी में डिजिटल उच्च शिक्षा पर कोविड–19 की वर्तमान स्थिति और प्रभाव, हम व्यवहार और इमर्ज टेक, 2021, पृ.स. 218–226. https://doi.org/10.1002/hbe2.238.336
- मारिनोनी, जी., एच. वैनट लैंड और टी. जेन्सेन. 2020. दुनिया भर में उच्च शिक्षा पर कोविड–19 का प्रभाव पेरिसः इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ज़ावकी–रिक्टर 225 विश्वविद्यालय. https://www.iau-aiu.net IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
- मैती, एस.टी.एन.साहू और एन.सेन.2021, कोविड–19 में डिजिटल शिक्षा का विहंगम दृश्यः एक नया खोजा गया मार्ग, शिक्षा की समीक्षा. 9 (2). पृ.सं.405–423.
- https://nmeict.ac.in/
- https://pmevidya.education.gov.in/
- https://swayam.gov.in/
- https://www.swayamprabha.gov.in/
- https://ndl.iitkgp.ac.in/
- https://new.e-yantra.org/
- https://www.valab.co.in/
- https://fossee.in/
- https://diksha.gov.in/

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 52

हमारे लेखक

जय शंकर शुक्ल
प्रवक्ता (हिन्दी)
विषय विशेषज्ञ, कोर एकेडमिक यूनिट
शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली – 110 054

शरद शर्मा
सहायक प्रोफेसर
राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
वरुण भवन, डिफेंस कॉलोनी
नई दिल्ली

अंशुमन करोल
प्रिया
लीड–लोकल गवर्नेंस
42, तुगलकाबाद इंस्टीटयूशनल एरिया
वायुसेनाबाद, नई दिल्ली – 110 032

राजेश टंडन
संस्थापक अध्यक्ष
प्रिया
42, तुगलकाबाद इंस्टीटयूशनल एरिया
वायुसेनाबाद, नई दिल्ली – 110 032

ममता सिंह
सह–आचार्य
शिक्षा शास्त्री विभाग
आगरा कॉलेज
आगरा
उ.प्र. – 282 002

कल्पना कौशिक
निदेशक
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17– बी, आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली – 110 002

सोमू सिंह
सहायक आचार्य
शिक्षा संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी
उ.प्र. – 221 105

प्रतीक चौरसिया
सहायक आचार्य
शिक्षा विभाग
मिजोरम विश्वविद्यालय
मिजोरम – 796 004

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 53

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
डा. एल. राजा

बहिर्गामी अध्यक्ष
श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
प्रो. राजेश
प्रो. एस. वाई. शाह

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डा. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
श्री ए. एच. खान
श्री हरीश कुमार एस.

सदस्य
सुश्री निशात फारूख
डा. आशा आर पाटिल
डा. आशा वर्मा
श्री वाई एम जनानी
श्री वाई. एन. शंकरेगोडा
डा. वी. रेघु

सहयोजित सदस्य
प्रो. अशोक भटट्ाचार्य
श्रीमती इन्दिरा राजपुरोहित
डा. डी. के. वर्मा

PS Jan-Jun 2024_feb'11 pror shiksha.qxd 6/8/2024 5:39 PM Page 54

प्रौढ़ शिक्षा जनवरी-जून 2024, आर.एन.आई. 4551/57

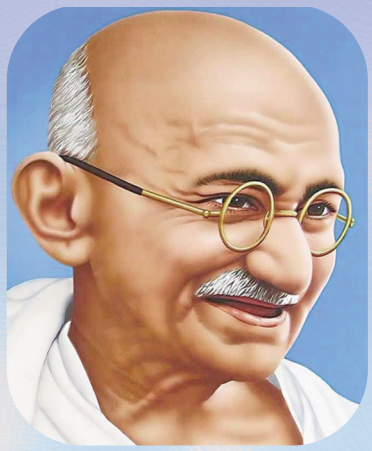

''यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जाती रहे तो निश्चित समझिए कि सब कुछ चला गया, क्योंकि अगर व्यक्ति का ही महत्व न रहा तो समाज में बचा ही क्या?''

– महात्मा गांधी

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा 17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल